

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-3826

जिसका उत्तर 05 अप्रैल, 2022 को दिया जाना है।

'सौभाग्य' योजना

3826. डा. अमी याज्ञिक:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) 'सौभाग्य' योजना के अंतर्गत गुजरात राज्य में किए गए कार्यों का ब्यौरा क्या है;
- (ख) विगत तीन वर्षों के दौरान इस कार्य के लिए स्वीकृत और आबंटित की गई धनराशि तथा व्यय की गई धनराशि का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;
- (ग) विगत पांच वर्षों के दौरान गुजरात में कितने घरों को बिजली कनेक्शन दिए गए हैं; और
- (घ) वर्तमान में गुजरात सहित देश के कितने गांवों में बिजली की आपूर्ति की जानी है?

उत्तर

**विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री
(श्री आर.के. सिंह)**

(क) से (ग) : भारत सरकार ने गुजरात सहित देश के ग्रामीण क्षेत्रों के सभी इच्छुक गैर-विद्युतीकृत घरों और शहरी क्षेत्रों के सभी इच्छुक गरीब घरों को विद्युत कनेक्शन प्रदान करते हुए सार्वभौमिक घरेलू विद्युतीकरण प्राप्त करने के उद्देश्य से अक्टूबर, 2017 में प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना - सौभाग्य शुरू की थी। गुजरात राज्य सरकार ने सूचित किया है कि सौभाग्य स्कीम की शुरुआत से पहले ही गुजरात राज्य में अधिकांश घर पहले से ही विद्युतीकृत थे। घरों का विद्युतीकरण एक सतत् प्रक्रिया है, गुजरात राज्य ने सौभाग्य स्कीम की शुरुआत से दिनांक 31.03.2019 तक 41,317 घरों के विद्युतीकरण की सूचना दी है। गुजरात राज्य सरकार की विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत, घरेलू विद्युतीकरण का राज्य-वार ब्यौरा निम्नानुसार है:

वर्ष	विद्युतीकृत घर
2016-17	68680
2017-18	61515
2018-19	68939
2019-20	71307
2020-21	57095
2021-22 (फरवरी-22)	47236
कुल	374772

सौभाग्य स्कीम के अंतर्गत किसी भी राज्य/जिले को निधियों का अग्रिम भुगतान नहीं किया जाता है। पिछली किस्तों में जारी की गई धनराशि के उपयोग के आधार पर संस्वीकृत परियोजनाओं के लिए निधियां किस्तों में जारी की जाती हैं। पिछले तीन वर्षों के दौरान, सौभाग्य के अंतर्गत आबंटित निधियों एवं व्यय की गई निधियों के राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरे अनुबंध में दिए गए हैं।

(घ) : राज्यों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, देश भर के सभी आवासित गैर-विद्युतीकृत जनगणना गांव दिनांक 28 अप्रैल, 2018 को विद्युतीकृत हो गए हैं।

अनुबंध

राज्य सभा में दिनांक 05.04.2022 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 3826 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

वित्तीय वर्ष 2018-19 से 2020-21 के दौरान सौभाग्य स्कीम के अंतर्गत राज्य-वार संस्वीकृत लागत एवं अनुदान का वितरण।

करोड़ रु. में

क्रम सं.	राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के नाम	संस्वीकृत लागत	परियोजना बंद करने की लागत	सौभाग्य के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जारी किया गया अनुदान				
				2018-19	2019-20	2020-21	कुल	उपयोग किया गया धन
1	अरुणाचल प्रदेश	323		139	14	-	153	153
2	असम	973	898	403	121	118	642	642
3	बिहार	926	816	199	136	17	352	352
4	छत्तीसगढ़	648	654	219	32	42	293	293
5	हरियाणा	18	14	-	3	-	3	3
6	हिमाचल प्रदेश	6	2	1	3	-	4	4
7	जम्मू और कश्मीर	128		45	-	-	45	45
8	झारखंड	887	472	83	4	60	147	147
9	कर्नाटक	79	80	-	40	-	40	40
10	केरल	90	88	-	26	13	39	39
11	लद्दाख	5		6	-	-	6	6
12	मध्य प्रदेश	873	738	147	-	6	153	153
13	महाराष्ट्र	406	363	140	43	-	183	183
14	मणिपुर	121		35	33	12	80	80
15	मेघालय	276	242	98	88	1	187	187
16	मिजोरम	46	46	35	-	6	41	41
17	नागालैंड	64	60	34	-	-	34	34
18	ओडिशा	525	430	168	-	-	168	149
19	पंजाब	2	1	-	-	0	0	0
20	राजस्थान	663	502	103	76	101	280	260
21	सिक्किम	2	2	-	1	1	2	2
22	तेलंगाना	35	28	-	15	-	15	15
23	त्रिपुरा	418	307	237	8	0	245	242
24	उत्तर प्रदेश	6,188	2,924	523	26	52	601	571
25	उत्तराखंड	149	52	22	7	1	30	28
26	पश्चिम बंगाल	259	226	73	20	16	109	106
	कुल	14,109	8,945	2,709	696	448	3,853	3,775

टिप्पणी: सौभाग्य स्कीम अक्टूबर, 2017 में शुरू की गई थी।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-3827

जिसका उत्तर 05 अप्रैल, 2022 को दिया जाना है ।

डिस्कॉम को हुए घाटे

3827. श्री के.सी. राममूर्ति:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) मंत्रालय द्वारा दिए गए पिछले बेलआउट पैकेज के बाद से डिस्कॉम को हुए घाटों का राज्य डिस्कॉम-वार और वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;
- (ख) क्या यह सच है कि मंत्रालय डिस्कॉम को उनके तकनीकी और वाणिज्यिक घाटों की भरपाई के लिए 90,000 करोड़ रुपये देने जा रहा है;
- (ग) डिस्कॉम के उक्त घाटों के क्या कारण हैं;
- (घ) मंत्रालय से उपर्युक्त 90,000 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए मंत्रालय द्वारा रखी गई शर्तों का ब्यौरा क्या है; और
- (ङ) प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाने वाले राज्यों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री
(श्री आर.के. सिंह)

(क) से (घ) : वर्ष 2019-20 के लिए उनकी नवीनतम "राज्य विद्युत यूटिलिटीयों के निष्पादन पर रिपोर्ट" के अनुसार, देश की वार्षिक सकल तकनीकी और वाणिज्यिक हानियां 20.93% थीं। एटीएंडसी हानियों के राज्य-वार और वर्ष-वार ब्यौरे **अनुबंध-1** में दिए गए हैं।

ये उच्च हानियां मुख्य रूप से टैरिफ लागत प्रतिबिंबित न होने; अपर्याप्त बिलिंग और संग्रहण दक्षताओं; राज्य सरकार के विभागों द्वारा विद्युत देय राशियों का भुगतान न करने; राज्य सरकारों द्वारा उनके द्वारा घोषित

सब्सिडियों का भुगतान न करने/कम भुगतान करने के कारण हैं। ये सभी पहलू राज्य सरकारों के स्वामित्व वाले डिस्कॉमों के अभिशासन में कमियों से संबंधित हैं।

कोविड-19 के प्रादुर्भाव द्वारा खराब हुई, विद्युत क्षेत्र की लिक्विडिटी समस्याओं पर नियंत्रण पाने की दृष्टि से, भारत सरकार ने दिनांक 13 मई, 2020 को आत्मनिर्भर भारत अभियान के हिस्से के रूप में लिक्विडिटी निषेचन स्कीम की घोषणा की। इस हस्तक्षेप के अंतर्गत, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन (आरईसी) तथा पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन (पीएफसी) डिस्कॉमों को सीपीएसई जेनकोज एवं ट्रांसकोज, आईपीपीज तथा आरई उत्पादकों की बकाया देय राशियों (दिनांक 30.06.2020 तक की स्थिति के अनुसार) की लिक्विडिटी के लिए 10 वर्ष तक के लिए विशेष दीर्घावधिक पारगमन ऋण प्रदान कर रहे हैं। अब तक, इस पहल के अंतर्गत 1,12,087 करोड़ रुपये तक के ऋण संवितरित किए गए हैं। दीर्घावधिक पारगमन ऋणों के अंतर्गत संवितरण को विनिर्दिष्ट सुधार उपाय करने वाले डिस्कॉमों के साथ जोड़ा गया है। इस लिक्विडिटी निषेचन का लाभ उठाने के लिए लगाई गई शर्तें **अनुबंध-II** के रूप में दी गई हैं।

इसके अतिरिक्त, भारत सरकार ने वित्तीय रूप से स्थिर और प्रचालनात्मक रूप से दक्ष वितरण क्षेत्र के माध्यम से उपभोक्ताओं के लिए विद्युत आपूर्ति की गुणवत्ता और विश्वसनीयता में सुधार करने के उद्देश्य से सुधार-आधारित और परिणाम-संबद्ध- संशोधित वितरण क्षेत्र स्कीम आरंभ की है। इस स्कीम का उद्देश्य वर्ष 2024-25 तक एटीएंडसी हानियों को 12-15% के अखिल भारतीय स्तर तक कम करना और औसत आपूर्ति लागत (एसीएस) औसत राजस्व वसूली (एआरआर) अंतर को शून्य तक लाना है। इस स्कीम का परिव्यय 3,03,758 करोड़ रुपये है जिसमें केन्द्र सरकार से जीबीएस 97,631 करोड़ रुपये हैं। इस स्कीम के दो मुख्य घटक हैं: भाग 'क' - मीटरिंग तथा वितरण अवसंरचना के उन्नयन के लिए वित्तीय सहायता तथा प्रीपेड स्मार्ट मीटरिंग और प्रणाली के लिए सहयोग और भाग 'ख' - प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण तथा अन्य समर्थकारी एवं सहायक गतिविधियां। यह स्वीकार करते हुए कि विभिन्न डिस्कॉम विभिन्न निष्पादन स्तरों पर हैं - प्रचालनात्मक और वित्तीय दोनों, वन साइज फिट्स ऑल दृष्टिकोणों को अपनाने के बजाए, इस स्कीम में विशिष्ट डिस्कॉमों की जरूरतों के अनुसार अनुकूलित कार्य योजनाओं की परिकल्पना है।

इस स्कीम में परिणाम पैरामीटरों के निमित्त निष्पादन और सुधार हेतु ट्रेजेक्टरियों को शामिल करते हुए परिणाम मूल्यांकन फ्रेमवर्क की परिकल्पना की गई है। परिणाम मूल्यांकन फ्रेमवर्क के दो घटक हैं। (i) पूर्व-निर्धारित मानदंड : और (ii) परिणाम मूल्यांकन मैट्रिक्स, जिनके ब्यौरे क्रमशः **अनुबंध-III और IV** पर दिए गए हैं। डिस्कॉमों द्वारा पूर्व-निर्धारित मानदंडों को पूरा करने और मूल्यांकन मैट्रिक्स पर कम से कम 60% अंक हासिल करने पर किसी विशेष वर्ष के लिए निधियां जारी की जाएंगी।

(ड) : देश में पहले से संस्थापित प्रीपेड स्मार्ट मीटरों सहित, स्मार्ट मीटरों के ब्यौरे **अनुबंध-V** में दिए गए हैं।

राज्य सभा में दिनांक 05.04.2022 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 3827 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

एटी एंड सी हानियों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार और वर्ष-वार ब्यौरा

	2019-20
राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	21.73
अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	22.71
अंडमान एवं निकोबार पीडी	22.71
आंध्र प्रदेश	10.77
एपीईपीडीसीएल	6.64
एपीएसपीडीसीएल	13.17
अरुणाचल प्रदेश	45.71
अरुणाचल पीडी	45.71
असम	23.37
एपीडीसीएल	23.37
बिहार	40.38
एनबीपीडीसीएल	29.50
एसबीपीडीसीएल	48.64
चंडीगढ़ (गैर-उदय संघ राज्य क्षेत्र)	4.60
चंडीगढ़ पीडी	4.60
छत्तीसगढ़	23.68
सीएसपीडीसीएल	23.68
दादरा एवं नगर हवेली	3.56
डीएनएचपीडीसीएल	3.56
दमन और दीव	4.07
दमन और दीव पीडी	4.07
गोवा	13.99
गोवा पीडी	13.99
गुजरात	11.95
डीजीवीसीएल	6.22
एमजीवीसीएल	11.31
पीजीवीसीएल	19.22
यूजीवीसीएल	6.88
हरियाणा	18.19
डीएचबीवीएनएल	16.37
यूएचबीवीएनएल	20.68
हिमाचल प्रदेश	11.68
एचपीएसईबीएल	11.68
जम्मू एवं कश्मीर	60.46
जेकेपीडीडी	60.46
झारखंड	36.96
जेबीवीएनएल	36.96
कर्नाटक	17.59
बेसकॉम	17.91
चेसकॉम	21.72
गेस्कम	17.87
हेस्कॉम	15.31
मेस्कॉम	15.33
केरल	14.47
केएसईबीएल	14.47
लक्षद्वीप	14.28
लक्षद्वीप ईडी	14.28
मध्य प्रदेश	30.38
एमपीएमएकेवीवीसीएल	37.17
एमपीपीएकेवीवीसीएल	20.93
एमपीपीओकेवीवीसीएल	33.89
महाराष्ट्र	19.92
एमएसईडीसीएल	19.92

मणिपुर	20.27
एमएसपीडीसीएल	20.27
मेघालय	34.32
एमईपीडीसीएल	34.32
मिजोरम	20.66
मिजोरम पीडी	20.66
नागालैंड	52.93
नागालैंड पीडी	52.93
ओडिशा (गैर-उदय राज्य)	28.94
सीईएसयू	29.03
नेस्को यूटीलिटी	24.45
साउथको यूटीलिटी	36.05
वेस्को यूटीलिटी	28.81
पुदुचेरी	18.45
पुदुचेरी पीडी	18.45
पंजाब	14.35
पीएसपीसीएल	14.35
राजस्थान	29.85
एवीवीएनएल	22.08
जेडीवीवीएनएल	38.26
जेवीवीएनएल	27.83
सिक्किम	28.88
सिक्किम पीडी	28.88
तमिलनाडु	15.00
टीजेडको	15.00
तेलंगाना	21.54
टीएसएनपीडीसीएल	34.08
टीएसएसपीडीसीएल	15.57
त्रिपुरा	37.85
टीएसईसीएल	37.85
उत्तर प्रदेश	30.05
डीवीवीएनएल	39.74
केन्को	15.49
एमवीवीएनएल	34.14
पीएवीवीएनएल	18.64
पीयूवीवीएनएल	34.24
उत्तराखंड	20.35
यूपीसीएल	20.35
पश्चिम बंगाल (गैर-उदय राज्य)	20.40
डब्ल्यूबीएसईडीसीएल	20.40
निजी क्षेत्र	8.00
दिल्ली	8.19
बीआरपीएल	8.15
बीवाईपीएल	8.57
टीपीडीडीएल	7.98
गुजरात	4.59
टोरेट पावर अहमदाबाद	5.07
टोरेट पावर सूरत	3.43
महाराष्ट्र	9.52
ईएमएल	9.52
उत्तर प्रदेश	9.76
एनपीसीएल	9.76
पश्चिम बंगाल	9.06
सीईएससी	9.30
आईपीसीएल	6.06
कुल जोड़	20.93

राज्य सभा में दिनांक 05.04.2022 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 3827 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

आत्म निर्भर भारत अभियान के अंतर्गत सरकार द्वारा घोषित 90,000 करोड़ रुपये के लिक्विडिटी निषेचन पैकेज के अंतर्गत ऋण लेने के लिए शर्तें

लिक्विडिटी निषेचन पैकेज के अंतर्गत वित्तपोषण प्रत्येक 45,000 करोड़ रुपये के दो ट्रांचों में किया जाएगा।

(i) ट्रांच 1 की संस्वीकृति तथा निर्मुक्ति के लिए संबंधित कंपनियों से निम्नलिखित वचनबद्धता ली जाएगी:

क. डिस्कॉम बिजली बिलों के डिजिटल भुगतान को समर्थ बनाएंगे।

ख. डिस्कॉम उपभोक्ताओं द्वारा स्व-मूल्यांकन को समर्थ बनाएंगे (अंतिम बिलिंग को सुकर बनाने के लिए मीटर के चित्र अथवा एसएमएस द्वारा मीटर रीडिंग भेजने के लिए प्रावधान करेंगे)। बिलों का निपटान और हिसाब एक बार जब मीटर का पठन हो जाएगा तब किया जाएगा। उपभोक्ताओं द्वारा भुगतान की गई धनराशियों का प्रतितुलन किया जाएगा।

ग. संबंधित राज्य सरकार को सरकारी विभागों/संबद्ध कार्यालयों की विद्युत देय राशियों के कारण देय भुगतानों का तीन वार्षिक किस्तों में परिसमापन करने और सरकारी विभागों/संबद्ध कार्यालयों आदि में स्मार्ट प्रीपेड अथवा प्रीपेड मीटर लगाने की भी वचनबद्धता देनी होगी ताकि भविष्य में डिस्कॉमों को विद्युत देय राशियों का नियमित भुगतान होता रहे। राज्य सरकारें सब्सिडियों की देय राशियों का भी निपटान करने की और ऐसी प्रणाली को लागू करने की कि डिस्कॉमों द्वारा सब्सिडी बिल प्रस्तुत किए जाएं और प्रत्येक तिमाही में अग्रिम भुगतान किया जाए, वचनबद्धता देंगी। उपरोक्त वचनबद्धता पहली किस्त की निर्मुक्ति से पहले अपेक्षित होगी।

(ii) ट्रांच 2 की प्राप्ति के लिए डिस्कॉमों को ट्रांच 1 के समय दी गई वचनबद्धताओं के कार्यान्वयन के ब्यौरे प्रस्तुत करने होंगे और निम्नलिखित भी देना होगा:

क. अगले 3 अथवा 4 वर्षों में उनकी हानियों को कम करने के लिए राज्य सरकार द्वारा पृष्ठांकित योजना। इसमें चोरी में कमी लाने और एसीएस-एआरआर अंतर को कम करने के उपाय शामिल होंगे।

राज्य सभा में दिनांक 05.04.2022 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 3827 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

इसके बाद मूल्यांकन के लिए डिस्कॉम द्वारा अनिवार्य रूप से पूरे किए जाने वाले पूर्व-निर्धारित मानदंड

- (i) डिस्कॉम स्कीम के प्रचालन के प्रथम दो वर्षों (अर्थात् वित्त वर्ष 2021-22 और वित्त वर्ष 2022-23) के दौरान प्रत्येक तिमाही की समाप्ति पर 60 दिन के भीतर त्रैमासिक अलेखापरीक्षित लेखे और उसके बाद तीसरे वर्ष के बाद से 45 दिन के भीतर लेखापरीक्षित त्रैमासिक लेखे प्रकाशित करेंगे।
- (ii) इसके अतिरिक्त, डिस्कॉम स्कीम के प्रचालन के प्रथम दो वर्षों (अर्थात् वित्त वर्ष 2021-22 और वित्त वर्ष 2022-23) के दौरान अगले वर्ष के दिसंबर के अंत तक लेखापरीक्षित वार्षिक लेखे और उसके बाद तीसरे वर्ष के बाद से अगले वर्ष के सितंबर माह के अंत तक लेखापरीक्षित वार्षिक लेखे प्रकाशित करेंगे।
- (iii) डिस्कॉम सुनिश्चित करेंगे कि नवीनतम टैरिफ निर्धारित चक्र में कोई नई विनियामक परिसंपत्ति सृजित नहीं की गई हों।
- (iv) राज्य सरकार विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 65 के अनुसार पूर्व वर्ष के लिए 100% सब्सिडी का भुगतान और चालू अवधि तक सब्सिडी का अग्रिम भुगतान सुनिश्चित करेगी और परियोजना अवधि की समाप्ति तक शेष सब्सिडी राशि को समाप्त करेगी।
- (v) सभी सरकारी विभागों/संबद्ध कार्यालयों/स्थानीय निकायों/स्वायत्तशासी निकायों/बोर्डों/निगमों ने मूल्यांकन के अधीन वर्ष के लिए चालू विद्युत देय राशियों का 100% भुगतान कर दिया है।
- (vi) सरकारी कार्यालयों को प्रीपेड मीटरों पर रखने की प्रतिबद्धता के अनुरूप प्रगति।
- (vii) परिणाम मूल्यांकन फ्रेमवर्क के अनुसार मूल्यांकनाधीन वर्ष के लिए जेनकोज सहित ऋणदाताओं को देय दिनों की संख्या प्रक्षेपित ट्रेजेक्टरी के बराबर या उससे कम है।
- (viii) मूल्यांकनाधीन चालू वर्ष और अंतिम से ठीक पहले के वर्ष डू-अप के लिए टैरिफ आदेश जारी और चालू वित्त वर्ष के 1 अप्रैल से लागू किए जा रहे हैं।

अनुबंध-IV

राज्य सभा में दिनांक 05.04.2022 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 3827 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

आरडीएसएस के अंतर्गत डिस्कॉम के निष्पादन मूल्यांकन के लिए परिणाम मूल्यांकन मैट्रिक्स का सार

क्रम सं.	श्रेणी	मूल्यांकन के लिए भार
1.	वित्तीय स्थिरता	60
2.	अवसररचना कार्यो का परिणाम	20
3.	अवसररचना कार्य	10
4.	नीति एवं संरचनात्मक सुधार, क्षमता निर्माण और आईटी/ओटी सक्षमीकरण	10
	कुल	100

राज्य सभा में दिनांक 05.04.2022 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 3827 के भाग (ड) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

स्मार्ट मीटरिंग के राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार आंकड़े (दिनांक 25-03-2022 तक की स्थिति के अनुसार)

क्रम सं.	राज्य	यूटिलिटी	संस्थापित स्मार्ट मीटरों की संख्या	
			3	4
	1	2	स्मार्ट प्रकार के	स्मार्ट प्रीपेड प्रकार के (पहले से ही कॉलम 3 में शामिल हैं)
1	अंडमान	ईडीएएनआई	36,500	0
2	अंडमान	ईडीएएनआई	38,400	0
3	आंध्र प्रदेश	ईपीडीसीएल	2,000	0
4	असम	एपीडीसीएल	70,000	2,720
5		एपीडीसीएल	1,09,348	4,317
6		एपीडीसीएल	46,027	0
7		एपीडीसीएल	0	0
8		एपीडीसीएल	0	0
9		एपीडीसीएल	14,259	0
10	बिहार	एनबीपीडीसीएल	2,50,587	2,49,801
11		एसबीपीडीसीएल	3,58,843	3,58,039
12		एसबीपीडीसीएल (ग्राम पावर)	30,500	30,500
13		आईपीसीएल	17,100	17,100
14		बीईडीसीपीएल/एसपीएमएल	1,000	1,000
15	चंडीगढ़	सीईडी	23,764	0
16		सीईडी	0	0
17	दिल्ली	एनडीएमसी	63,474	0
18		टीपीडीडीएल	1,95,000	0
19	गुजरात	यूजीवीसीएल	23,760	0
20	हरियाणा	यूएचबीवीएन	10,188	0
21		एसजीकेसी लैब	10	0
22		डीएचबीवीएन	1,74,472	7
23		यूएचबीवीएन	2,34,921	579
24	हिमाचल प्रदेश	एचपीएसईबी	1,335	0
25		एचपीएसईबी	75,712	0
26	जम्मू	जेपीडीसीएल और केपीडीसीएल	43,695	0
27	झारखंड	जेबीवीएनएल	0	
28	कर्नाटक	सेसकॉम	20,916	
29	केरल	सीपीटी	805	
30	मध्य प्रदेश	एमपी-वेस्ट	1,24,477	0
31		एमपी-वेस्ट	1,18,836	0
32	ओडिशा	ओपीटीसीएल	4,000	0
33		पारादीप पोर्ट ट्रस्ट	500	

34	पुदुचेरी	पीईडी	28,910	0
35		पीईडी	1,658	0
36	पंजाब	पीएसपीसीएल	88,107	0
37	राजस्थान	एवीवीएनएल	68,673	0
38		एवीवीएनएल	1,000	0
39		जेवीवीएनएल	2,40,820	0
40		जेवीवीएनएल	1,07,652	0
41		जेवीवीएनएल	70,000	0
42		जेडीवीवीएनएल	56,027	0
43	तमिलनाडु	टॅजेडको	99,322	0
44	त्रिपुरा	टीएसईसीएल	43,081	0
45	तेलंगाना	टीएसएसपीडीसीएल	8,882	0
46	उत्तर प्रदेश	आईआईटीके	28	0
47		एमवीवीएनएल	3,78,862	3,337
48		पीवीवीएनएल	1,98,726	20
49		डीवीवीएनएल	1,47,991	127
50		पीयूवीवीएनएल	3,21,433	1,135
51		केस्को	1,07,318	60,266
52	पश्चिम बंगाल	डब्ल्यूबीएसईडीसीएल	5,164	0
53		सीईएससी	10,000	0
	कुल जोड़		40,74,083	7,28,948

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-3828

जिसका उत्तर 05 अप्रैल, 2022 को दिया जाना है।

बिजली की मांग में वृद्धि को पूरा करने के लिए प्रयास

3828. डा. नरेन्द्र जाधव:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार ने वर्ष 2030 तक देश में विद्युत की मांग में अपेक्षित वृद्धि के संबंध में कोई अध्ययन कराया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;
- (ग) क्या भारत की मौजूदा पवन और तापीय ऊर्जा की संस्थापित क्षमता से वर्ष 2030 तक देश की बिजली की मांग को पूरा करने की उम्मीद है;
- (घ) क्या नवीकरणीय ऊर्जा की नई विद्युत परियोजनाओं को विकसित किया जा रहा है ताकि स्वच्छ ऊर्जा विद्युत की बढ़ती मांग को पूरा किया जा सके, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री

(श्री आर.के. सिंह)

(क) से (ङ) : केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए), विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 73(क) के अंतर्गत बाध्यता के अनुसार मध्यम एवं दीर्घकालिक आधार पर देश की विद्युत मांग का अनुमान लगाने के लिए प्रत्येक पांच वर्ष में देश का इलेक्ट्रिक पावर सर्वे (ईपीएस) संचालित करता है। प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के लिए वर्ष 2016-17 से वर्ष 2026-27 तक के लिए विद्युत की मांग के अनुमान के साथ-साथ वर्ष 2031-32 और वर्ष 2036-37 के लिए 19वीं इलेक्ट्रिक पावर सर्वे (ईपीएस) रिपोर्ट में संभावित विद्युत मांग अनुमान को कवर किया गया है।

भारत अपनी विद्युत उत्पादन क्षमता में वृद्धि कर रहा है। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा किए गए अध्ययन के अनुसार, अखिल भारतीय संस्थापित क्षमता दिनांक 28.02.2022 तक की स्थिति के अनुसार वर्तमान संस्थापित क्षमता 3,95,607.86 मेगावाट से बढ़कर दिनांक 31.03.2030 तक की स्थिति के अनुसार 8,17,254 मेगावाट होने की संभावना है, जो वर्ष 2030 तक विद्युत मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त होगी।

दिनांक 28.02.2022 तक की स्थिति के अनुसार, देश में कुल लगभग 152.899 गीगावाट (जीडब्ल्यू) नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता (वृहद हाइड्रो सहित) संस्थापित की गई है। वर्ष 2030 तक गैर-जीवाश्म ईंधन आधारित उत्पादन क्षमता (नवीकरणीय ऊर्जा सहित) लगभग 500 गीगावाट होने की संभावना है।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-3829

जिसका उत्तर 05 अप्रैल, 2022 को दिया जाना है ।

विद्युत क्षेत्र में हैवी क्रॉस-सब्सिडी

3829. प्रो. मनोज कुमार झा:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) औद्योगिक, वाणिज्यिक, घरेलू और कृषि ग्राहकों के लिए चार्ज किए गए वर्तमान प्रति यूनिट मूल्य और तुलनात्मक रूप से इसके अंतरराष्ट्रीय मूल्य क्या हैं;

(ख) इस प्रक्रिया में कितनी क्रॉस-सब्सिडी दी गई है;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि औद्योगिक प्रयोक्ताओं से वसूले जाने वाली उच्च दर के कारण उन्होंने स्वयं अलग लाइनों को चलाने का विकल्प चुना है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उन औद्योगिक इकाइयों की संख्या कितनी है जिन्होंने देश में सरकारी डिस्कॉम से बिजली लेना बंद कर दिया है; और

(घ) सरकार इन दरों को युक्तिसंगत बनाने और ऐसे ग्राहकों के पलायन को रोकने के लिए क्या कदम उठा रही है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री

(श्री आर.के. सिंह)

(क) : सभी उपभोक्ताओं के लिए विद्युत की खुदरा आपूर्ति का टैरिफ, औद्योगिक, वाणिज्यिक, घरेलू तथा कृषि उपभोक्ताओं सहित, संबंधित राज्य विद्युत विनियामक आयोग द्वारा निर्धारित किया जाता है।

उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार घरेलू उपभोक्ताओं के लिए टैरिफ (सरकारी सब्सिडी, यदि कोई हो, सहित) 1.40 रुपये/केडब्ल्यूएच से 12.65 रुपये/केडब्ल्यूएच की रेंज में होता है। गैर-घरेलू श्रेणी के लिए टैरिफ 3.89 रुपये/केडब्ल्यूएच से 14.51 रुपये/केडब्ल्यूएच की रेंज में होता है। कृषि टैरिफ 0 रुपये/केडब्ल्यूएच से 6.28 रुपये/केडब्ल्यूएच की रेंज में होता है। औद्योगिक टैरिफ 3.35 रुपये/केडब्ल्यूएच से 10.00 रुपये/केडब्ल्यूएच की रेंज

में होता है। अन्य अधिकतर देशों में, आम तौर पर औद्योगिक उपभोक्ताओं के लिए टैरिफ घरों के टैरिफ से कम होता है।

(ख) : राज्यों के मध्य क्रॉस सब्सिडी विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ताओं में अलग-अलग होती है। एलटी वाणिज्यिक श्रेणी के लिए क्रॉस सब्सिडी 28% से 172% के बीच होती है, एलटी औद्योगिक श्रेणी के लिए यह 28% से 163% के बीच होती है, एचटी वाणिज्यिक श्रेणी के लिए यह 100% से 178% के बीच होती है और एचटी औद्योगिक श्रेणी के लिए यह 34% से 160% के बीच होती है।

(ग) : विद्युत अधिनियम, 2003 में कैप्टिव उत्पादन के लिए सक्षमकारी प्रावधान हैं। अधिनियम की धारा 9(1) में कैप्टिव उत्पादन संयंत्र और समर्पित पारेषण लाइनें स्थापित करने की व्यवस्था है जबकि धारा 9(2) में ऐसे कैप्टिव उत्पादन संयंत्र से उपयोग के गंतव्य तक विद्युत ले जाने के लिए खुली पहुंच के अधिकार की व्यवस्था है। तदनुसार, क्रॉस सब्सिडी अधिभार किसी ऐसे व्यक्ति या कंपनी को खुली पहुंच प्रदान करने के मामले में नहीं लगाया जाता जिसने विद्युत को अपने उपयोग के गंतव्य तक ले जाने के लिए कैप्टिव उत्पादन संयंत्र की स्थापना की है। आम तौर पर, उच्च मांग वाले उद्योग अपने स्वयं के कैप्टिव विद्युत संयंत्र स्थापित करते हैं।

एक मेगावाट या उससे अधिक की मांग वाले उद्योगों में कैप्टिव विद्युत संयंत्र की संस्थापित क्षमता वर्ष 1948 के 409.52 मेगावाट से बढ़कर वर्ष 2020 में 76,239.36 मेगावाट हो गई है जबकि कैप्टिव विद्युत संयंत्रों से उत्पादन वर्ष 1949 के 1299.56 गीगावाट प्रति घंटा से बढ़कर वर्ष 2019-20 तक 239,566.75 गीगावाट प्रति घंटा हो गया है।

(घ) : विद्युत अधिनियम, 2003 में यह व्यवस्था है कि टैरिफ में लागत प्रतिबिंबित होना चाहिए। राष्ट्रीय टैरिफ नीति, 2016 के अनुसार, उपयुक्त आयोग एक ऐसा रोडमैप अधिसूचित करेगा जिससे टैरिफ को औसत आपूर्ति लागत के $\pm 20\%$ के भीतर ले आया जाए। तदनुसार, केन्द्र सरकार राज्य आयोगों से टैरिफ नीति, 2016 के प्रावधानों के अनुपालन में क्रॉस सब्सिडी में कमी के लिए एक रोडमैप परिभाषित करने और ऐसी सब्सिडी को औसत आपूर्ति लागत (एसीएस) $\pm 20\%$ तक कम करने का अनुरोध करती रही है।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-3830

जिसका उत्तर 05 अप्रैल, 2022 को दिया जाना है ।

वर्ष 2022 तक सभी के लिए बिजली

3830. डा. एल. हनुमंतग्या:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार वर्ष 2022 तक सभी को चौबीस घंटे बिजली आपूर्ति करने के अपने वादे को पूरा करने के लिए सही राह पर है;

(ख) यदि हां, तो आज की तारीख तक की गई प्रगति का ब्यौरा क्या है, और यदि नहीं, तो संशोधित लक्ष्य और/या समय-सीमा के निर्धारण सहित इसके क्या कारण हैं; और

(ग) वर्ष 2014 से अब तक सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में औसतन दैनिक विद्युत आपूर्ति का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री
(श्री आर.के. सिंह)

(क) से (ग) : सभी उपभोक्ताओं को 24x7 विद्युत आपूर्ति उपलब्ध कराने का प्राथमिक उत्तरदायित्व संबंधित विद्युत वितरण कंपनियों (डिस्कॉमों) का होता है।

विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार ने सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ वर्ष 2014 से वर्ष 2017 के दौरान संयुक्त पहलें शुरू कीं और सभी घरों, औद्योगिक एवं वाणिज्यिक उपभोक्ताओं को 24x7 विद्युत आपूर्ति करने और राज्य नीति के अनुसार कृषि उपभोक्ताओं को पर्याप्त विद्युत आपूर्ति करने के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विशिष्ट कार्य-योजना दस्तावेज तैयार किए। इस पहल का उद्देश्य मौजूदा उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण विद्युत की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करना और वर्ष 2019 तक चरणबद्ध तरीके से बिना कनेक्शन वाले सभी उपभोक्ताओं को विद्युत की पहुँच प्रदान करना था।

भारत सरकार सभी घरों को निर्बाध विद्युत आपूर्ति उपलब्ध कराने के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) एवं एकीकृत विद्युत विकास स्कीम (आईपीडीएस) सहित अपनी विभिन्न स्कीमों के माध्यम से राज्यों की सहायता कर रही है। हाल ही में शुरू की गई संशोधित वितरण क्षेत्र स्कीम (आरडीएसएस) के अंतर्गत राज्य विद्युत वितरण यूटिलिटियों को वितरण अवसंरचना सुदृढ़ करने के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है और इस स्कीम के अंतर्गत निर्मुक्त निधि को सुधारों की शुरुआत और परिणामों की उपलब्धि, जिसमें शहरी एवं ग्रामीण उपभोक्ताओं को विद्युत आपूर्ति के घंटों में सुधार के लिए ट्रेजेक्टरियां भी शामिल हैं, से जोड़ा गया है।

स्वतंत्र सर्वेक्षणों के अनुसार, वर्ष 2015 में सर्वेक्षण किए गए क्षेत्रों में विद्युत की उपलब्धता औसत 12 घंटे से बढ़कर वर्ष 2020 में 20.50 घंटे हो गई है। राष्ट्रीय विद्युत पोर्टल (एनपीपी) पर राज्यों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, दिनांक 30.11.2021 तक की स्थिति के अनुसार, शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में एक दिन में विद्युत आपूर्ति के औसत घंटे क्रमशः 23.68 (HH:hh) एवं 20.92 (HH:hh) हैं। एनपीपी पर डिस्कॉमों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, विगत तीन वर्षों और नवंबर, 2021 तक वर्तमान वर्ष के दौरान ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों के लिए दिन में विद्युत आपूर्ति के औसत घंटे (HH:hh) निम्नानुसार हैं:

	2018-19		2019-20		2020-21		2021-22 (नवंबर, 2021 तक)	
	ग्रामीण आपूर्ति	शहरी आपूर्ति	ग्रामीण आपूर्ति	शहरी आपूर्ति	ग्रामीण आपूर्ति	शहरी आपूर्ति	ग्रामीण आपूर्ति	शहरी आपूर्ति
अखिल भारत स्तर	20.7	23.8	20.8	23.7	21.2	23.7	20.9	23.7

विगत तीन वर्षों और नवंबर, 2021 तक वर्तमान वर्ष के दौरान दिन में विद्युत आपूर्ति के राज्य-वार औसत घंटे (घंटे:मिनट) अनुबंध में दिए गए हैं।

अनुबंध

राज्य सभा में दिनांक 05.04.2022 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 3830 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

विगत तीन वर्षों तथा नवंबर, 2021 तक वर्तमान वर्ष में एक दिन में राज्य-वार विद्युत आपूर्ति का औसत घंटे (घंटे.मिनट)

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	2018-19		2019-20		2020-21		2021-22 (नवंबर, 21 तक)	
		ग्रामीण आपूर्ति	शहरी आपूर्ति	ग्रामीण आपूर्ति	शहरी आपूर्ति	ग्रामीण आपूर्ति	शहरी आपूर्ति	ग्रामीण आपूर्ति	शहरी आपूर्ति
1	आंध्र प्रदेश	22.12	23.97	23.63	23.92	23.67	23.90	23.65	23.88
2	अरुणाचल प्रदेश#*	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.73		22.73
3	असम#*	0.00	23.73	0.00	23.80	0.00	0.00		23.52
4	बिहार	21.22	0.00	21.85	23.13	21.88	23.38	20.36	23.57
5	छत्तीसगढ़	0.00	23.77	0.00	23.98	0.00	23.98	21.54	23.78
6	दिल्ली**	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23.99
7	गोवा*	0.00	0.00	0.00	22.75	0.00	23.73		23.64
8	गुजरात	23.78	23.95	23.12	23.95	23.73	23.95	23.80	23.94
9	हरियाणा	19.62	23.28	19.23	23.27	19.95	23.40	19.34	23.60
10	हिमाचल प्रदेश	15.82	0.00	15.65	23.85	15.83	23.85	12.37	23.90
11	जम्मू और कश्मीर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.98		22.56
12	कर्नाटक	17.63	23.93	17.22	23.83	19.18	23.85	19.03	23.83
13	केरल	21.22	0.00	21.97	23.98	21.00	23.92	19.62	23.92
14	मध्य प्रदेश	23.33	23.70	23.03	23.85	22.65	23.93	23.06	23.89
15	महाराष्ट्र	0.00	23.95	20.45	23.97	20.97	23.98	22.86	23.98
16	मेघालय#	0.00	23.95	0.00	23.98	0.00	23.93		23.91
17	मणिपुर#*	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23.65
18	मिजोरम#	0.00	23.73	0.00	23.67	0.00	23.80		23.86
19	नागालैण्ड#*	0.00	0.00	0.00	23.50	0.00	22.73		23.40
20	ओडिशा *	20.13	0.00	20.02	23.65	21.27	23.85	23.02	23.61
21	पुडुचेरी*	22.10	0.00	20.45	0.00	23.15	0.00	20.31	
22	पंजाब*	23.27	23.78	23.17	23.72	22.60	23.77	22.34	23.66
23	राजस्थान	21.30	23.92	21.30	23.88	21.37	23.98	21.86	23.90
24	तमिलनाडु*	20.77	0.00	20.97	23.97	21.52	0.00	22.14	
25	तेलंगाना	22.05	0.00	22.22	23.92	22.15	23.92	21.85	23.93
26	त्रिपुरा*	19.68	0.00	19.55	0.00	19.55	23.98	20.34	23.91
27	उत्तर प्रदेश*	19.10	23.15	17.03	23.57	16.43	23.75	15.93	23.48
28	उत्तराखंड	21.40	23.47	21.67	23.40	21.97	23.65	21.44	23.56
29	पश्चिम बंगाल*	18.18	23.97	23.07	23.97	23.07	23.98	23.49	23.80
	अखिल भारतीय	20.7	23.8	20.8	23.7	21.2	23.7	20.9	23.7
टिप्पणी 1	# केवल शहरी आंकड़े उपलब्ध हैं।								
टिप्पणी 2	*राज्यों ने वित्तीय वर्ष 2021-22 में नवंबर, 2021 तक आंकड़े प्रस्तुत नहीं किए हैं।								
टिप्पणी 3	सूची में गैर-मौजूद राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों प्रदेशों को एनपीपी पर मैप नहीं किया जाता है								
टिप्पणी 4	**दिल्ली को अप्रैल, 2021 में एनपीपी में शामिल कर लिया गया है। अतः एनपीपी पर पिछले वित्तीय वर्ष के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।								

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-3831

जिसका उत्तर 05 अप्रैल, 2022 को दिया जाना है ।

ऊपरी सिलेरू, विशाखापट्टनम में रिवर्स पम्पड स्टोरेज परियोजना के लिए वित्तीय सहायता

3831. श्री सुभाष चन्द्र बोस पिल्ली:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने ऊपरी सिलेरू, विशाखापट्टनम में रिवर्स पम्पड स्टोरेज परियोजना में 30 प्रतिशत वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए कदम उठाए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री
(श्री आर.के. सिंह)

(क) और (ख) : यह परियोजना वर्तमान में योजना चरण में है। परियोजना प्रस्तावक लागू दिशा-निर्देशों के अनुसार वित्त मंत्रालय की व्यवहार्यता अंतर निधीयन स्कीम के तहत वित्तीय सहायता प्राप्त कर सकते हैं।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-3832

जिसका उत्तर 05 अप्रैल, 2022 को दिया जाना है ।

कुडगी और वेल्लूर ताप विद्युत संयंत्र

3832. श्री सुभाष चन्द्र बोस पिल्ली:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कुडगी और वेल्लूर ताप विद्युत संयंत्रों को आंध्र प्रदेश राज्य सरकार के ताप विद्युत आबंटन को वापस करने के अनुरोध पर विचार किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री

(श्री आर.के. सिंह)

(क) से (ग) : आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने कुडगी ताप विद्युत संयंत्र से 244 मेगावाट और एनटीईसीएल वेल्लूर ताप विद्युत संयंत्र से 86.15 मेगावाट के आवंटन से संबंधित दीर्घावधिक विद्युत क्रय करारों से बाहर निकलने का अनुरोध किया है। विद्युत क्रय करार से यह निकासी केवल तभी संभव है, यदि कुछ अन्य राज्य दीर्घावधिक आधार पर इस विद्युत को खरीदने के इच्छुक हों। तथापि, दिनांक 29.03.2022 को, आंध्र प्रदेश ने पुनः यह संकेत दिया है कि राज्य में बढ़ती हुई मांग की पूर्ति के लिए उन्हें इस विद्युत की आवश्यकता है।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-3833

जिसका उत्तर 05 अप्रैल, 2022 को दिया जाना है ।

कोयला से चलने वाले विद्युत संयंत्र

3833. श्री सैयद नासिर हुसैन:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) देश में कोयले से चलने वाले विद्युत संयंत्रों की राज्य-वार कुल संख्या कितनी है;
- (ख) क्या सरकार कोयला से चलने वाले और अधिक संयंत्रों को स्थापित करने की योजना बना रही है;
- (ग) यदि हां, तो क्या इसके लिए किसी स्थान की पहचान की गई है;
- (घ) क्या सरकार जलवायु परिवर्तन के संबंध में सरकार द्वारा निर्धारित वर्ष 2030 के लक्ष्य के संबंध में कोयले के उपयोग में कटौती करने की योजना बना रही है; और
- (ङ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम हुए हैं?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री
(श्री आर.के. सिंह)

(क) : दिनांक 28.02.2022 तक की स्थिति के अनुसार, देश में 2,03,899.5 मेगावाट क्षमता के 181 कोयला आधारित विद्युत संयंत्र हैं। इन संयंत्रों की राज्य-वार सूची अनुबंध में दी गई है।

(ख) और (ग) : विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 7 के अनुसार, कोई उत्पादन कंपनी यदि वह निर्दिष्ट ग्रिड से संयोजन से संबंधित तकनीकी मानकों को पूरा करती है तो वह इस अधिनियम के अधीन अनुज्ञप्ति किए/अनुमति लिए बिना किसी उत्पादन केंद्र की स्थापना, उसका प्रचालन और रख-रखाव कर सकती है। तदनुसार, ताप विद्युत परियोजनाओं की संस्थापना के लिए सरकार की संस्वीकृति अपेक्षित नहीं है।

(घ) और (ङ) : दिनांक 28.03.2022 तक की स्थिति के अनुसार, 3,95,145.86 मेगावाट की कुल क्षमता में से कोयला एवं लिग्नाइट आधारित उत्पादन क्षमता 2,10,039.5 मेगावाट अर्थात् लगभग 53% है। वर्ष 2029-30 हेतु केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) द्वारा तैयार किए गए इष्टतम उत्पादन क्षमता सम्मिश्रण के अनुसार, वर्ष 2030 में कोयला एवं लिग्नाइट आधारित ताप विद्युत परियोजनाओं की क्षमता कुल क्षमता की 32% होगी।

राज्य सभा में दिनांक 05.04.2022 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 3833 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

दिनांक 28.02.2022 तक की स्थिति के अनुसार कोयला/लिग्नाइट आधारित स्टेशनों की सूची

राज्य	संयंत्रों की संख्या
हरियाणा	5
पंजाब	5
राजस्थान	8
उत्तर प्रदेश	19
छत्तीसगढ़	26
गुजरात	9
मध्य प्रदेश	14
महाराष्ट्र	23
आंध्र प्रदेश	9
कर्नाटक	7
तेलंगाना	7
तमिलनाडु	10
बिहार	7
झारखंड	7
ओडिशा	7
पश्चिम बंगाल	17
असम	1
कुल	181

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-3834

जिसका उत्तर 05 अप्रैल, 2022 को दिया जाना है ।

देश में ट्रांसमिशन क्षेत्र

3834. श्री सुजीत कुमार:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) ट्रांसमिशन क्षेत्र में किए गए राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय दोनों प्रकार के निवेशों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है, और क्या इसमें कम निवेश किया गया है;
- (ख) ट्रांसमिशन क्षेत्र में कार्यरत निजी क्षेत्र के उद्यमों का हिस्सा कितना है और विद्युत के अंतर-राज्यीय ट्रांसमिशन में कार्य करने वाले उद्यमों का ब्यौरा क्या है;
- (ग) देश में विलंबित ट्रांसमिशन परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है और प्रत्येक के लिए अनुमानित लागत और समय-सीमा में कितनी वृद्धि हुई है; और
- (घ) ट्रांसमिशन क्षेत्र में क्या सुधार किए गए हैं, और इस क्षेत्र से संबंधित किन प्रस्तावित संशोधनों को विद्युत (संशोधन) विधेयक, 2021 से हटा दिया गया है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री

(श्री आर.के. सिंह)

(क) : देश में अंतर-राज्यीय पारेषण क्षेत्र में पर्याप्त निवेश आवश्यक की पूर्ति हेतु है। सभी क्षेत्रीय ग्रिड सक्रमिक रूप से जुड़े हैं और अंतर-राज्यीय पारेषण प्रणालियों (आईएसटीएस) में विद्युत पारेषण क्षमता विद्युत के निर्बाध प्रवाह के लिए पर्याप्त है और 'एक राष्ट्र - एक ग्रिड - एक आवृत्ति' में फलीभूत है। इस समय, राष्ट्रीय ग्रिड की अंतर-क्षेत्रीय पारेषण क्षमता लगभग 112,250 मेगावाट है (अप्रैल, 2014 से 76,300 मेगावाट की अभिवृद्धि हुई है)। उत्पादन तथा मांग में प्रत्याशित बढ़ोत्तरी पर विचार करते हुए, देश में मौजूदा पारेषण प्रणाली के सुदृढीकरण सहित उत्पादक स्टेशनों से भार केंद्रों को विद्युत की निकासी के लिए पर्याप्त पारेषण क्षमता की योजना बनाई गई है।

वर्ष 2017-18 से वर्ष 2021-22 की अवधि के दौरान (25 मार्च, 2022 तक), केंद्रीय तथा राज्य पारेषण यूटिलिटीयों द्वारा 1,58,844 करोड़ रुपये का निवेश किया गया है। किए गए निवेश के राज्य-वार ब्यौरे **अनुबंध-1** में दिए गए हैं। उपर्युक्त के अलावा, वर्ष 2017-18 से वर्ष 2021-22 की अवधि के दौरान (28 फरवरी, 2022 तक) निजी पारेषण विकासकर्ताओं द्वारा भी अनुमानित 20,946 करोड़ रुपये निवेश किए गए हैं।

(ख) : दिनांक 28.02.2022 तक की स्थिति के अनुसार, देश में चालू की गई 4,54,540 सीकेएम पारेषण लाइनों (220 केवी और अधिक) में से, 34,843 सीकेएम (7.66% हिस्सा) लाइनें संयुक्त उद्यमों/निजी क्षेत्र के उद्यमों द्वारा चालू की गई हैं।

निजी क्षेत्र के उद्यमों द्वारा विकसित आईएसटीएस लाइनें नीचे दी गई हैं:

क्रम सं.	निजी उद्यमों का नाम	पारेषण लाइन (सीकेएम)
1	स्टरलाइट पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	7555
2	अदानी ट्रांसमिशन लिमिटेड	4992
3	एस्सल इंफ्राप्रोजेक्ट्स लिमिटेड	707
4	कल्पतरू पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	948
5	लारसेन एंड टूब्रो इंफ्रा	979
6	रायचुर शोलापुर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड (आरएसटीसीएल)	208
	कुल	15389

(ग) : अनुबंध-II में दिए गए ब्यौरे के अनुसार इस समय अंतर-राज्यीय पारेषण प्रणाली में पावरग्रिड तथा निजी टीएसपी (पारेषण सेवा प्रदाता) द्वारा कार्यान्वित की जा रही 25 पारेषण परियोजनाएं विलंबित हैं। अनुमोदित संशोधित लागत के आधार पर, 17 पीजीसीआईएल परियोजनाओं के लिए लागत आधिक्य शून्य है। इसके अलावा, 8 विलंबित निजी पारेषण परियोजनाएं टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धात्मक बोली के अंतर्गत निश्चित टैरिफ आधार पर कार्यान्वित की गई हैं।

(घ) : वर्ष 2021-22 के दौरान, केंद्र सरकार ने पारेषण क्षेत्र में निम्नलिखित प्रमुख सुधार किए हैं:

- विद्युत (पारेषण आयोजना, विकास तथा आईएसटीएस पारेषण प्रभागों की वसूली) नियम, 2021 दिनांक 1.10.2021 को जारी किए गए थे। ये नियम सामान्य नेटवर्क पहुंच की शुरुआत को सक्षम बनाते हैं, ताकि विद्युत क्षेत्र की यूटिलिटीयां पूरे देश में विद्युत पारेषण नेटवर्क तक आसानी से पहुंच सके।
- आईएसटीएस की आयोजना तथा अनुमोदन प्रक्रिया को सरलीकृत किया गया था। क्षेत्रीय स्तर पर आईएसटीएस आयोजना के लिए दोहरे परामर्श को हटा दिया गया है और केंद्रीय पारेषण यूटिलिटी तथा पारेषण संबंधी राष्ट्रीय समिति को 500 करोड़ रुपये तक आईएसटीएस प्रणाली का अनुमोदन करने की शक्तियां प्रदान की गई हैं।
- केंद्रीय पारेषण यूटिलिटी (सीटीयू) कार्य को पावरग्रिड से पृथक कर दिया गया है और दिनांक 1 अप्रैल, 2022 से सेंट्रल ट्रांसमिशन यूटिलिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने सीटीयू के रूप में कार्य करना आरंभ कर दिया।
- पारेषण क्षेत्र में निजी विकासकर्ताओं के लिए ईज ऑफ डुइंग बिजनेस को प्रोत्साहित करने, जोखिम हिस्सेदारी के संबंध में विकासकर्ताओं की चिंताओं पर ध्यान देने, पारेषण में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने और पारेषण लाइनों को समय से पूरा करने हेतु सुविधा प्रदान करने के लिए आईएसटीएस परियोजनाओं के लिए विकासकर्ताओं के चयन हेतु मानक बोली दस्तावेजों को संशोधित किया गया है। इन सभी प्रावधानों से पारेषण क्षेत्र में और अधिक निजी निवेश होगा।

पारेषण क्षेत्र से संबंधित प्रावधानों के संबंध में विद्युत अधिनियम, 2003 में संशोधन करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

राज्य सभा में दिनांक 05.04.2022 को उत्तरार्थ अतारंकित प्रश्न संख्या 3834 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

13वीं योजना (2017-22) के दौरान केंद्र और राज्य क्षेत्र में पारेषण स्कीमों (220 केवी और उससे अधिक) के लिए व्यय का ब्यौरा (करोड़ रुपये)

क्रम सं.	यूटिलिटी का नाम	राज्य	पारेषण कार्य					कुल
			2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22 (एनआईपी पारेषण परियोजनाओं से 25.03.22 तक लिया गया समय)	
I	केंद्रीय क्षेत्र							
	पीजीसीआईएल	-	25,791	25,807	15,940	10,850	8,202	86,590
	डीवीसी	-	47	58	179	195	एनए	479
	कुल केंद्रीय क्षेत्र	-	25,838	25,865	16,119	11,045	8,202	87,069
II	राज्य क्षेत्र							
क.	उत्तरी क्षेत्र							
1	डीटीएल	दिल्ली	311	एनएफ	एनएफ	250	203	765
2	एचपीपीटीसीएल	हिमाचल प्रदेश	317	464	366	382	253	1,782
3	एचवीपीएनएल	हरयाणा	219	एनएफ	405	505	29	1,157
4	पीडीडी, जम्मू और कश्मीर	जम्मू और कश्मीर	55	एनएफ	एनएफ	80	30	165
5	पीएसटीसीएल	पंजाब	315	154	89	69	72	698
6	आरवीपीएनएल	राजस्थान	1,773	1,315	एनएफ	एनएफ	306	3,394
7	यूपीपीटीसीएल	उत्तर प्रदेश	3,201	एनएफ	1,885	एनएफ	3,209	8,295
8	पीटीसीयूएल	उत्तराखंड	108	121	154	186	80	649
	कुल उत्तरी क्षेत्र		6,299	2,053	2,899	1,472	4,184	16,906
ख.	पश्चिमी क्षेत्र							
1	सीएसपीटीसीएल	छत्तीसगढ़	169	एनएफ	एनएफ	एनएफ	61	230
2	जीईटीसीओ	गुजरात	1,102	1,082	1,182	1,419	1,018	5,803
3	गोवा	गोवा	0	एनएफ	एनएफ	22	1 1	34
4	एमपीपीटीसीएल	मध्य प्रदेश	991	1,603	845	1,535	406	5,381
5	एमएसईटीसीएल	महाराष्ट्र	464	एनएफ	596	767	406	2,234
	कुल पश्चिम क्षेत्र		2,727	2,685	2,623	3,744	1,903	13,683
ग.	दक्षिणी क्षेत्र							
1	एपीट्रानस्को	आंध्र प्रदेश	499	790	588	588	192	2,657
2	केपीटीसीएल	कर्नाटक	696	1,180	1,294	एनएफ	877	4,047
3	केएसईबी	केरल	16	152	568	982	413	2,130
4	टैंट्रान्सको	तमिलनाडु	2,782	3,392	4,168	2,685	1,429	14,457
5	टीएसट्रांसको	तेलंगाना	2,475	2,913	एनएफ	1,474	3,120	9,982
6	पुदुचेरी	पुदुचेरी	1 1	एनएफ	6	2	0	19
	कुल दक्षिणी क्षेत्र		6,479	8,427	6,624	5,732	6,031	33,293
घ.	पूर्वी क्षेत्र							
1	बीएसपीटीसीएल	बिहार	0	एनएफ	एनएफ	एनएफ	131	131
2	ओपीटीसीएल	उड़ीसा	358	322	626	607	2	1,915
3	जेयूसएनएल	झारखंड	630	एनएफ	एनएफ	एनएफ	778	1,408
4	डब्ल्यूबीएसईटीसीएल	पश्चिम बंगाल	291	286	242	472	610	1,901
5	सिक्किम	सिक्किम	0	एनएफ	एनएफ	एनएफ	542	542
	कुल पूर्वी क्षेत्र		1,279	608	868	1,078	2,063	5,897
ङ.	पूर्वोत्तर क्षेत्र							
1	अरुणाचल प्रदेश	अरुणाचल प्रदेश	0	0	शून्य	एनएफ	614	614
2	एईजीसीएल	असम	49	24	7	34	218	332
3	मणिपुर	मणिपुर	0	एनएफ	एनएफ	83	56	139
4	एमपीटीसीएल	मेघालय	218	एनएफ	शून्य	एनएफ	114	332
5	मिजोरम	मिजोरम	9	25	शून्य	एनएफ	53	87
6	नागालैंड	नागालैंड	14	47	शून्य	एनएफ	142	204
7	त्रिपुरा	त्रिपुरा	0	0	शून्य	7	282	290
	कुल पूर्वोत्तर क्षेत्र		290	97	7	124	1,480	1,997
	कुल राज्य क्षेत्र		17,073	13,870	13,021	12,150	15,661	71,775
	कुल अखिल भारत		42,912	39,735	29,140	23,194	23,863	158,844
एनएफ: उपलब्ध नहीं/बाद के वर्षों के लिए अद्यतन सूचना प्राप्त नहीं हुई।								
टिप्पणी: ऊपर बताए गए व्यय में केंद्र सरकार द्वारा आवंटित धनराशि शामिल नहीं है।								

राज्य सभा में दिनांक 05.04.2022 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 3834 के भाग (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

चल रही विलंबित आईएसटीएस पारेषण परियोजनाओं के ब्यौरे

क्रम सं.	परियोजना का नाम	निष्पादक एजेंसी	नवीनतम अनुमोदित समय-सीमा	प्रत्याशित तिथि	संस्वीकृत लागत करोड़ रु. में	विलंब माह में
1	पूर्वोत्तरी पश्चिमी इंटरकनेक्टर-I परियोजना भाग-सी: लोअर सुबानसिरी एचईपी से विद्युत की तत्काल निकासी के लिए पारेषण प्रणाली	पावर ग्रिड	नवंबर 22	मार्च 23	1520	4
2	पावरग्रिड भुज ट्रांसमिशन लिमिटेड	पावर ग्रिड	अगस्त'21	अप्रैल 22	1031	8
3	राजस्थान में सौर ऊर्जा क्षेत्रों के लिए पारेषण प्रणाली	पावर ग्रिड	अगस्त'21	मार्च 22	2578.47	7
4	12वीं योजना अवधि के दौरान राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में 400/220 केवी सबस्टेशनों का निर्माण (भाग-ए)	पावर ग्रिड	दिसंबर'21	मार्च 22	1394.52	3
5	नेवेली, तमिलनाडु में 2x500 मेगावाट नेवेली लिग्नाइट कार्पोरेशन लिमिटेड टीएस-1 (प्रतिस्थापन) (एनएनटीपीएस) से विद्युत की निकासी के लिए पारेषण प्रणाली	पावर ग्रिड	जुलाई'21	अगस्त 22	219.66	13
6	पूर्वी क्षेत्र सुदृढीकरण स्कीम-XXIII	पावर ग्रिड	सितम्बर'21	मार्च 22	239.89	6
7	पूर्वी क्षेत्र सुदृढीकरण स्कीम-XVIII एसपीवी का नाम: पावरग्रिड मेदिनीपुर जीरात ट्रांसमिशन लिमिटेड	पावर ग्रिड	दिसंबर'20	अप्रैल 22	3500	16
8	गुजरात में भुज-II (2000 मेगावाट) में आरई परियोजनाओं को कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए पारेषण प्रणाली	पावर ग्रिड	अगस्त'21	अप्रैल 22	1108	8
9	कुरुक्षेत्र में 500 एमवीएआर थाइरिस्टर नियंत्रित रिपेक्टर का कार्यान्वयन	पावर ग्रिड	मार्च 22	जून'22	267.33	3
10	उत्तरी क्षेत्र प्रणाली सुदृढीकरण-XL	पावर ग्रिड	अगस्त'21	मार्च 22	572.98	7
11	उत्तरी क्षेत्र में खराबी के स्तर को नियंत्रित करने की योजना (फेज-II)	पावर ग्रिड	फरवरी'22	अप्रैल 22	124.21	2
12	उत्तरी क्षेत्र प्रणाली का सुदृढीकरण-XLI	पावर ग्रिड	जनवरी 22	मार्च 22	25.57	2
13	बीकानेर (पीजी), फतेहगढ़-II और भादला-II में आरई परियोजनाओं को कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए पारेषण प्रणाली	पावर ग्रिड	सितम्बर'21	जून'22	562.86	9
14	सहारनपुर (पीजी) में 2 नं. 220 केवी लाइन बे	पावर ग्रिड	फरवरी'22	मार्च 22	5	1
15	400 केवी तिरुवलम एस/एस पर उच्च शॉर्ट सर्किट धारा स्तर को नियंत्रित करने के लिए पारेषण प्रणाली	पावर ग्रिड	नवंबर'21	मार्च 22	88.39	4
16	पूर्वी क्षेत्र सुदृढीकरण योजना-XXIII	पावर ग्रिड	सितम्बर'21	मार्च 22	239.89	6
17	पूर्वी क्षेत्र सुदृढीकरण योजना-XXIV (ईआरएसएस-XXIV)	पावर ग्रिड	मार्च 22	अप्रैल 22	3	1
18	गोवा को अतिरिक्त 400 केवी फीड और रायगढ़ (तमनार) पूल में एकत्रित उत्पादन परियोजनाओं से विद्युत निकासी के लिए अतिरिक्त प्रणाली	गोवा-तमनार ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट लिमिटेड (स्टरलाइट पावर टीएल की एक सहायक कंपनी)	जुलाई 22	मार्च 23	1,531	8
19	डब्ल्यूआरएसएस-21 भाग-बी - भुज पीएस में रि-इंजेक्शन के कारण गुजरात अंतरा-राज्यीय पारेषण प्रणाली में देखे गए ओवर लोडिंग से राहत के लिए	लकड़िया - वडोदरा ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट लिमिटेड; (स्टरलाइट	अगस्त'21	जून'22	1,865	9

क्रम सं.	परियोजना का नाम	निष्पादक एजेंसी	नवीनतम अनुमोदित समय-सीमा	प्रत्याशित तिथि	संस्वीकृत लागत करोड़ रु. में	विलंब माह में
	पारेषण प्रणाली सुदृढीकरण	पावर टीएल की एक सहायक कंपनी)				
20	दक्षिणी क्षेत्र में आयात के लिए अतिरिक्त अंतर क्षेत्रीय एसी लिंक अर्थात वरोरा-वारंगल और चिलकालूरिपेटा - हैदराबाद-कुरनूल 765 केवी लिंक।	वरोरा कुरनूल ट्रांसमिशन लिमिटेड (अडानी टीएल की एक सहायक कंपनी)	अप्रैल'20	जनवरी '23	4,805	32
21	बाबई (आरवीपीएनएल) में सीकर-नीमराना 400 केवी डी/सी लाइन के एलआईएलओ के साथ उत्तरी क्षेत्र (एनआरएसएस XXXVI) में सिस्टम सुदृढीकरण।	एनआरएसएस-XXXVI ट्रांसमिशन लिमिटेड (एस्सेल इंफ्रापावर टीएल की एक सहायक कंपनी)	मई'20	मार्च '23	255	33
22	एनटीपीसी (ईआरएसएस-XXIX) की नॉर्थ कर्णपुरा (3x660 मेगावाट) उत्पादन परियोजना के लिए तत्काल निकासी।	उत्तर करनपुरा ट्रांसको लिमिटेड (अडानी टीएल की एक सहायक कंपनी)	फरवरी'20	दिसम्बर'22	472	33
23	पश्चिमी क्षेत्र सुदृढीकरण योजना के लिए ट्रांसमिशन सिस्टम - 21 (डब्ल्यूआरएसएस - 21) भाग-ए - भुज पीएस में रि-इंजेक्शन के कारण गुजरात अंतरराज्यीय प्रणाली में देखे गए ओवर लोडिंग से राहत के लिए पारेषण प्रणाली सुदृढीकरण	डब्ल्यूआरएसएस XXI (ए) ट्रांसको लिमिटेड (अडानी टीएल की एक सहायक कंपनी)	अगस्त'21	जून'22	1,090	9
24	भुज-II, द्वारका और लकाडिया में आरई जेनरेशन से जुड़े पारेषण प्रणाली के लिए ट्रांसमिशन सिस्टम	लकाडिया बनासकांठा ट्रांसको लिमिटेड (अडानी टीएल की एक सहायक कंपनी)	फरवरी'22	जून'22	1,052	4
25	द्वारका (गुजरात) में आरई परियोजनाओं (1500 मेगावाट) को कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए जाम खंबालिया पूर्लिंग स्टेशन के लिए पारेषण प्रणाली और जाम खंबालिया पूर्लिंग स्टेशन के इंटरकनेक्शन और सीजीपीएल स्विचयार्ड में संबद्ध बे के साथ 400/220 केवी आईसीटी की स्थापना	जाम खंबालिया ट्रांसको लिमिटेड (अडानी टीएल की एक सहायक कंपनी)	नवंबर'21	जून'22	394	7

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-3835

जिसका उत्तर 05 अप्रैल, 2022 को दिया जाना है।

देश में कोयला आधारित नए विद्युत संयंत्रों को अनुमति

3835. डा. अंबुमणि रामादॉस:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार का देश में कोयला आधारित विद्युत संयंत्रों को नई अनुमतियां जारी करने से रोकने के लिए कोई नीतिगत प्रस्ताव है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (ख) क्या सरकार का वैश्विक जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए संयुक्त राष्ट्र के प्रति अपनी वचनबद्धता को पूरा करने हेतु पहले से मौजूद कोयला आधारित विद्युत संयंत्रों को समयबद्ध तरीके से बंद करने का कोई नीतिगत प्रस्ताव है, यदि हां, तो तत्संबंधी समय-सीमा का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री
(श्री आर.के. सिंह)

(क) और (ख) : विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 7 के अनुसार, कोई उत्पादन कंपनी यदि वह निर्दिष्ट ग्रिड से संयोजन से संबंधित तकनीकी मानकों को पूरा करती है तो वह इस अधिनियम के अधीन अनुज्ञप्ति किए/अनुमति लिए बिना किसी उत्पादन केंद्र की स्थापना, उसका प्रचालन और रख-रखाव कर सकती है। तदनुसार, ताप विद्युत परियोजनाओं की संस्थापना के लिए सरकार की संस्वीकृति अपेक्षित नहीं है। इसी तरह, विद्युत उत्पादन कंपनियों द्वारा यूनिटों को चरणबद्ध रूप से बंद/अभ्यर्पित करने का निर्णय अपने स्वयं के तकनीकी-आर्थिक और पर्यावरणीय कारणों के आधार पर लिया जाता है।

3,95,145.86 मेगावाट की कुल क्षमता में से इस समय कोयला एवं लिग्नाइट आधारित उत्पादन क्षमता 2,10,039.5 मेगावाट अर्थात लगभग 53% दिनांक 28.03.2022 तक की स्थिति के अनुसार है। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) द्वारा तैयार किए गए इष्टतम उत्पादन क्षमता सम्मिश्रण के अनुसार, वर्ष 2029-30 में 817 गीगावाट की कुल क्षमता में से कोयला आधारित ताप विद्युत परियोजनाओं की क्षमता लगभग 267 गीगावाट अर्थात लगभग 32% होगी।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-3836

जिसका उत्तर 05 अप्रैल, 2022 को दिया जाना है ।

देश भर में पनबिजली संयंत्रों की स्थापना

3836. डा. कनिमोझी एनवीएन सोमू:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) प्रदूषण को कम करने के उद्देश्य से देश भर में पनबिजली विद्युत संयंत्रों की स्थापना के लिए सरकार द्वारा प्रस्तावित योजनाओं का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;
- (ख) विगत तीन वर्षों के दौरान तमिलनाडु में स्थापित पनबिजली और ताप विद्युत संयंत्रों का जिला-वार ब्यौरा क्या है; और
- (ग) तमिलनाडु में शुरू की गई ऐसी परियोजनाओं की प्रगति का ब्यौरा क्या है और इन्हें किस समय-सीमा में पूरा किए जाने की संभावना है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री
(श्री आर.के. सिंह)

(क) : विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 8(1) के अनुसार, 1000 करोड़ रुपये से अधिक पूंजीगत व्यय वाले हाइड्रो उत्पादन स्टेशन स्थापित करने के लिए इच्छुक किसी भी उत्पादक कंपनी को अपनी परियोजना को केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) से मंजूर करवाना अपेक्षित होता है।

सीईए में उपलब्ध जानकारी के अनुसार, देश में कुल 58196.5 मेगावाट की कुल संस्थापित क्षमता की 98 जल विद्युत परियोजनाएं विभिन्न चरणों में निर्माणाधीन हैं। इन जल विद्युत परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति निम्नानुसार है:

- 21,065 मेगावाट की कुल संस्थापित क्षमता की 31 जल विद्युत परियोजनाएं सर्वेक्षण एवं अन्वेषण के चरण में हैं। ब्यौरे अनुबंध-I में दिए गए हैं।
- 1700 मेगावाट कुल संस्थापित क्षमता की 2 जल विद्युत परियोजनाओं की विस्तृत परियोजना रिपोर्टें (डीपीआर) सहमति के लिए सीईए में जांच के चरण में हैं। ब्यौरे अनुबंध-II में दिए गए हैं।

- 22,768 मेगावाट की कुल संस्थापित क्षमता की 29 जल विद्युत परियोजनाओं की डीपीआर पर सीईए द्वारा सहमति दी जा चुकी है और विभिन्न कारणों से इनका निर्माण किया जाना अभी शेष है। ब्यौरे **अनुबंध-III** में दिए गए हैं।
- देश में 12,663.5 मेगावाट की कुल संस्थापित क्षमता की 36 जल विद्युत परियोजनाएं (25 मेगावाट से अधिक) निर्माणाधीन हैं। ब्यौरे **अनुबंध-IV** में दिए गए हैं।

(ख) : तमिलनाडु राज्य में विगत तीन वर्षों के दौरान कोई जल विद्युत परियोजनाएं संस्थापित नहीं की गई थी। तथापि, राज्य में विगत तीन वर्षों के दौरान 1525 मेगावाट की कुल संस्थापित क्षमता की 3 ताप विद्युत परियोजनाएं (टीपीपी) स्थापित की गई हैं। ब्यौरे **अनुबंध-V** में दिए गए हैं।

(ग) : तमिलनाडु राज्य में निर्माणाधीन विद्युत परियोजनाओं के उनके चालू होने की संभावित तिथि सहित ब्यौरे **अनुबंध-VI** में दिए गए हैं।

अनुबंध-1

राज्य सभा में दिनांक 05.04.2022 को उत्तरार्थ अतारंकित प्रश्न संख्या 3836 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

दिनांक 30.03.2022 तक की स्थिति के अनुसार

केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा समन्वित की जा रही, सर्वेक्षण और जांच के अधीन जल विद्युत परियोजनाएं

क्रम सं.	परियोजना का नाम	राज्य	विकासकर्ता	प्रकार	क्षेत्र	संस्थापित क्षमता (मेगावाट)
1	उरी-1 (स्टेज-II)	जम्मू और कश्मीर	एनएचपीसी लिमिटेड	आरओआर	केंद्रीय	240
2	दुलहस्ती स्टेज-II	जम्मू और कश्मीर	एनएचपीसी लिमिटेड	आरओआर	केंद्रीय	260
3	लूहरी स्टेज-II	हिमाचल प्रदेश	एसजेवीएन लिमिटेड	आरओआर	केंद्रीय	172
4	जंगी थोपन पोवारी	हिमाचल प्रदेश	एसजेवीएन लिमिटेड	आरओआर	केंद्रीय	804
5	पुर्थी	हिमाचल प्रदेश	एसजेवीएन लिमिटेड	आरओआर	केंद्रीय	232
6	बर्दांग	हिमाचल प्रदेश	एसजेवीएन लिमिटेड	आरओआर	केंद्रीय	175
7	सचखास	हिमाचल प्रदेश	एसजेवीएन लिमिटेड	आरओआर	केंद्रीय	288
8	सिरकारी थ्योल रूपसीबागर	उत्तराखंड	यूजेवीएनएल	आरओआर	राज्य	120
9	बोकांग बेलिंग	उत्तराखंड	टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड	आरओआर	केंद्रीय	200
10	देवसारी	उत्तराखंड	एसजेवीएन लिमिटेड	आरओआर	केंद्रीय	194
11	अंजॉ	अरुणाचल प्रदेश	लोहित ऊर्जा प्रा. लिमिटेड	आरओआर	निजी	270
12	डेमवे अपर स्टे.-1	अरुणाचल प्रदेश	लोहित ऊर्जा प्रा. लिमिटेड	आरओआर	निजी	270
13	नियारे	अरुणाचल प्रदेश	आंद्रा पावर प्राइवेट लिमिटेड	आरओआर	निजी	860
14	मिटडू लेशका स्टेज- II	मेघालय	एमईपीजीसीएल	आरओआर	राज्य	210
15	अपर इंद्रावती	ओडिशा	ओएचपीसीएल	पीएसपी	राज्य	600
16	बालीमेला	ओडिशा	ओएचपीसीएल	पीएसपी	राज्य	500
17	अपर कोलाब	ओडिशा	ओएचपीसीएल	पीएसपी	राज्य	320
18	शारावथी	कर्नाटक	केपीसीएल	पीएसपी	राज्य	2000
19	सौंदती	कर्नाटक	ग्रीनको	पीएसपी	निजी	1260
20	एमपी 30 गांधी सागर	मध्य प्रदेश	ग्रीनको	पीएसपी	निजी	1440
21	कोडयारी	तमिलनाडु	टैजको	पीएसपी	राज्य	500
22	सिलाहल्ला स्टेज-1	तमिलनाडु	टैजको	पीएसपी	राज्य	1000
23	अपर सिलेरू	आंध्र प्रदेश	एपीजेनको	पीएसपी	राज्य	1350
24	कुरुकुटी	आंध्र प्रदेश	एनआरईडीसीएपी	पीएसपी	राज्य	1200
25	कर्नीवलसा	आंध्र प्रदेश	एनआरईडीसीएपी	पीएसपी	राज्य	1000
26	गांदीकोटा	आंध्र प्रदेश	एनआरईडीसीएपी	पीएसपी	राज्य	1000
27	ऑक	आंध्र प्रदेश	एनआरईडीसीएपी	पीएसपी	राज्य	800
28	सोमासिला	आंध्र प्रदेश	एनआरईडीसीएपी	पीएसपी	राज्य	900
29	चित्रवती	आंध्र प्रदेश	एनआरईडीसीएपी	पीएसपी	राज्य	500
30	येरावरम	आंध्र प्रदेश	एनआरईडीसीएपी	पीएसपी	राज्य	1200
31	वारसागांव	महाराष्ट्र	डब्ल्यूआरडी, महाराष्ट्र	पीएसपी	राज्य	1200
	कुल					21065

टिप्पणी: आरओआर-रन ऑफ रिवर

पीएसपी- पम्पड स्टोरेज परियोजना

अनुबंध-II

राज्य सभा में दिनांक 05.04.2022 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 3836 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

दिनांक 30.03.2022 तक की स्थिति के अनुसार

सहमति के लिए केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण में जांचाधीन जल विद्युत योजनाएं

क्रम सं.	परियोजना का नाम	राज्य	क्षेत्र	विकासकर्ता	संस्थापित क्षमता (मेगावाट)
1.	डुगर एचई परियोजना	हिमाचल प्रदेश	केंद्रीय	एनएचपीसी	500
2.	पिन्नापुरम स्टैंडअलोन पीएसपी	आंध्र प्रदेश	निजी	निजी	1200
		कुल			1700

अनुबंध-III

राज्य सभा में दिनांक 05.04.2022 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 3836 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

दिनांक 30.03.2022 तक की स्थिति के अनुसार

जल विद्युत परियोजनाएं जिन्हें केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा सहमति दी गई है और विभिन्न कारणों से अभी निर्माण के लिए शुरू की जानी हैं

क्रम सं.	स्कीम का नाम	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	क्षेत्र	विकासकर्ता	संस्थापित क्षमता (मेगावाट)	सीईए की सहमति की तारीख	अभ्युक्तियां
1.	तीस्ता स्टे.-IV	सिक्किम	केंद्रीय	एनएचपीसी	520	13.05.10	ईसी 09.01.14 को दी गई। एफसी चरण-I 26.02.2013 को प्राप्त की गई। एफसी चरण-II अभी प्राप्त की जानी है।
2.	तवांग स्टे.-I	अरुणाचल प्रदेश	केंद्रीय	एनएचपीसी	600	10.10.11	ईसी 10.6.11 को दी गई। एफसी-I और एफसी-II अभी प्राप्त की जानी है।
3.	तवांग स्टे.-II	अरुणाचल प्रदेश	केंद्रीय	एनएचपीसी	800	22.09.11	ईसी 10.6.11 को दी गई। (09.06.2024 तक वैध)। एफसी-I 08.01.14 को दी गई। एफसी-II अभी प्राप्त की जानी है।
4.	टलौंग लौदा	अरुणाचल प्रदेश	निजी	जीएमआर	225	16.08.13	ईसी 07.08.15 को दी गई। एफसी-I एवं एफसी-II अभी प्राप्त की जानी है।
5.	इटालिन	अरुणाचल प्रदेश	निजी	ईएचईपीसीएल	3097	12.07.13	ईसी के लिए पर्यावरण मूल्यांकन समिति द्वारा 31.01.17 को सिफारिश की गई। एफसी-I के बाद औपचारिक पत्र जारी किया जाएगा। एफसी-I एवं एफसी -II अभी प्राप्त की जानी है।
6.	सुन्नी डैम	हिमाचल प्रदेश	केंद्रीय	एसजेवीएन	382	11.02.21	पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा ईसी 04.02.2022 को दी गई। एफसी-I 22.12.2021 को दी गई। एफसी-II अभी प्राप्त की जानी है।
7.	वाह उमियम स्टेज-III	मेघालय	केंद्रीय	नीपको	85	26.07.21	ईएसी द्वारा 26.02.2018 को ईसी की सिफारिश की गई। एफसी-I और एफसी-II अभी प्राप्त की जानी है।
8.	थाना प्लाउन	हिमाचल प्रदेश	राज्य	एचपीपीसीएल	191	07.09.2021	एफसी चरण-I की शर्त के अध्यक्षीन ईएसी द्वारा ईसी की सिफारिश की गई। एफसी-I और एफसी-II अभी प्राप्त की जानी है।
9.	किरथई-II	जम्मू व कश्मीर	जेवी	सीवीपीपीएल	930	14.06.19	एमओईएफएंडसीसी द्वारा 15.04.2021 को ईसी की सिफारिश की गई और एफसी अभी प्राप्त नहीं हुई है।
10.	दुर्गा पम्पड स्टोरेज परियोजना	पश्चिम बंगाल	राज्य	डब्ल्यूबीएसपीसी एल	1000	05.10.16	ईसी 02.07.2018 को दी गई। एफसी-I 12.04.18 को दी गई। एफसी-II अभी प्राप्त की जानी है।
11.	स्वालकोट	जम्मू व कश्मीर	केंद्रीय	एनएचपीसी	1856	18.04.18	ईएसी द्वारा 31.01.2017 को ईसी की सिफारिश की गई (एमओईएफएंडसीसी ने

क्रम सं.	स्कीम का नाम	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	क्षेत्र	विकासकर्ता	संस्थापित क्षमता (मेगावाट)	सीईए की सहमति की तारीख	अभ्युक्तियां
							04.08.2017 को परियोजना के लिए ईसी को हटा दिया और 24.01.2022 को फिर से सूचीबद्ध किया। एफसी अभी प्राप्त की जानी है।
12.	दिखू	नागालैंड	निजी	एनएमपीपीएल	186	31.03.14	विकासकर्ता द्वारा ईसी अभी प्राप्त की जानी है। एफसी लागू नहीं क्योंकि वन भूमि शामिल नहीं है।
13.	अट्टुनली	अरुणाचल प्रदेश	निजी	एएचईपीसीएल	680	02.07.18	ईसी और एफसी दोनों अभी प्राप्त की जानी है।
14.	कोटलीभेल स्टेज-ए	उत्तराखंड	केंद्रीय	एनएचपीसी	195	03.10.06	ईसी 09.05.2007 को दी गई। ईसी मई, 2012 में समाप्त हो गई। एफसी-1 13.10.2011 को दी गई गया एफसी-1 अक्टूबर, 2016 को समाप्त हो गई। यह परियोजना माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा समीक्षाधीन 24 परियोजनाओं की सूची में शामिल है।
15.	कोटलीभेल स्टेज-बी	उत्तराखंड	केंद्रीय	एनएचपीसी	320	31.10.06	पूर्व में 14.08.07 को दी गई ईसी 22.11.10 को वापस ले ली गई। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने 07.07.11 को एफसी-1 को अस्वीकार कर दिया। यह परियोजना माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा समीक्षाधीन 24 परियोजनाओं की सूची में शामिल है।
16.	अलकनंदा	उत्तराखंड	निजी	जीएमआरएल	300	08.08.08	ईसी 12.3.2008 को दी गई, एफसी-1 08.11.2011 को दी गई। एफसी-1 09.11.2012 को दी गई। यह परियोजना माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा समीक्षाधीन 24 परियोजनाओं की सूची में शामिल है।
17.	क्वार	जम्मू व कश्मीर	संयुक्त उद्यम	सीवीपीपीएल	540	23.02.17	ईसी 10.04.17 को दी गई। एफसी 08.08.14 को दी गई। निवेश की स्वीकृति प्रक्रियाधीन है।
18.	लोकटक डाउनस्ट्रीम	मणिपुर	जेवी	एलडीएचपीसीएल	66	05.05.17	ईसी 16.01.13 को दी गई। एफसी-1 को 03.03.11 को और एफसी-1 को 22.12.2014 को दी गई। निवेश की स्वीकृति प्रक्रियाधीन है।
19.	दिबांग	अरुणाचल प्रदेश	केंद्रीय	एनएचपीसी	2880	18.09.17	ईसी 19.05.15 को दी गई। एफसी-1 15.04.15 को दी गई। एफसी-1 12.03.20 को दी गई। निवेश की स्वीकृति प्रक्रियाधीन है।
20.	न्यू गंदरबाल	जम्मू व कश्मीर	राज्य	जेकेएसपीडीसी	93	10.06.14	ईसी 9.10.15 को बहाल की गई। एफसी 02.04.2012 को प्रदान किया गया।
21.	छतरू	हिमाचल प्रदेश	निजी	डीएसआईएल	126	15.01.15	ईसी द्वारा 24.02.15 को ईसी की सिफारिश की गई, एफसी-1 के बाद पत्र जारी किया जाएगा। एफसी-1 और एफसी-1 अभी प्राप्त की जानी

क्रम सं.	स्कीम का नाम	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	क्षेत्र	विकासकर्ता	संस्थापित क्षमता (मेगावाट)	सीईए की सहमति की तारीख	अभ्युक्तियां
							है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने अपने पत्र दिनांक 3.10.2019 द्वारा छत्रू एचईपी के आवंटन को रद्द कर दिया है, जो 28.7.2007 को मेसर्स डीसीएम श्रीराम इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड को आवंटित किया गया था, और 15.2.2008 को हस्ताक्षरित पूर्व-कार्यान्वयन करार (पीआईए) को समाप्त कर दिया।
22.	हिरोंग	अरुणाचल प्रदेश	निजी	जेएपीएल	500	10.04.13	विकासकर्ता द्वारा ईसी और एफसी अभी प्राप्त की जानी है। अरुणाचल प्रदेश सरकार ने दिनांक 21.04.2021 के अपने पत्र द्वारा मेसर्स जेएपीएल को हिरोंग एचईपी का आवंटन वापस लिया/रद्द कर दिया।
23.	नेइंग	अरुणाचल प्रदेश	निजी	एनडीएससीपीएल	1000	11.09.13	विकासकर्ता द्वारा ईसी और एफसी अभी प्राप्त की जानी है। अरुणाचल प्रदेश सरकार ने दिनांक 27.04.2021 के अपने पत्र के माध्यम से मेसर्स एनडीएससीपीएल को नेइंग एचईपी का आवंटन रद्द कर दिया।
24.	लोअर सियांग	अरुणाचल प्रदेश	निजी	जेएवीएल	2700	16.02.10	विकासकर्ता द्वारा ईसी और एफसी अभी प्राप्त की जानी है।
25.	डेम्बे लोअर	अरुणाचल प्रदेश	निजी	एडीपीएल	1750	20.11.09	ईसी 12.02.10 को दी गई। ईसी को 11.02.2023 तक बढ़ाया गया। एफसी-I 01.03.2012 को दी गई। एफसी-II 03.05.2013 को दी गई। वर्तमान में, परियोजना एनसीएलटी में है।
26.	कलई-II	अरुणाचल प्रदेश	निजी	कलई पीपीएल	1200	27.03.15	ईसी 20.5.15 को दी गई। अंतिम आदेश एफसी-I प्राप्त करने के बाद जारी किया जाएगा। एफसी-I और एफसी-II अभी प्राप्त की जानी है।
27.	हियो	अरुणाचल प्रदेश	निजी	एचएचपीपीएल	240	28.07.15	ईसी 10.11.15 को दी गई। एफसी-I 27.10.15 को दी गई। एफसी-II अभी प्राप्त की जानी है।
28.	टाटो-I	अरुणाचल प्रदेश	निजी	एसएचपीपीएल	186	28.10.15	ईसी 10.11.15 को दी गई। एफसी-I 27.10.15 को दी गई। एफसी-II अभी प्राप्त की जानी है।
29.	मियार	हिमाचल प्रदेश	केंद्रीय	एनटीपीसी	120	07.02.13	ईसी 30.07.12 को दी गई। एफसी-I 27.07.12 को दी गई। एफसी-II अभी प्राप्त की जानी है।
	कुल जोड़				22768		

संक्षिप्त स्वरूप:

ईसी: पर्यावरण मंजूरी

एफसी: वन मंजूरी

ईएसी: पर्यावरण मूल्यांकन समिति

अनुबंध-IV

राज्य सभा में दिनांक 05.04.2022 को उत्तरार्थ अतारंकित प्रश्न संख्या 3836 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

दिनांक 30.03.2022 तक की स्थिति के अनुसार

देश में निर्माणाधीन जल विद्युत परियोजना (25 मेगावाट से अधिक)

क्रम सं.	परियोजना का नाम	राज्य	क्षेत्र	विकासकर्ता	संस्थापित क्षमता (मेगावाट)	चालू होने की अनुमानित तारीख
1	पोलावरम	आंध्र प्रदेश	राज्य	(एपीजेको/सिंचाई विभाग, आंध्र प्रदेश)	960.00	2024-26
2	सुबानसिरी लोअर #	अरुणाचल प्रदेश	केंद्रीय	एनएचपीसी	2000.00	2022-24 (अगस्त, 23)**
3	लोअर कोपिली	असम	राज्य	एपीजीसीएल	120.00	2024-25 (जून, 24)
4	पार्वती स्टे. II	हिमाचल प्रदेश	केंद्रीय	एनएचपीसी	800.00	2022-23 (मार्च, 23)
5	लुहरी-I	हिमाचल प्रदेश	केंद्रीय	एसजेवीएन	210.00	2025-26 (जनवरी, 26)
6	धौलासिद्ध	हिमाचल प्रदेश	केंद्रीय	एसजेवीएन	66.00	2025-26 (मई, 25)
7	उहल-III	हिमाचल प्रदेश	राज्य	बीवीपीसीएल	100.00	2023-24 (दिसंबर, 23)
8	शौंगटोंग करचम	हिमाचल प्रदेश	राज्य	एचपीपीसीएल	450.00	2024-25 (मार्च, 25)
9	बजोली होली	हिमाचल प्रदेश	निजी	जीएमआर	180.00	2021-22 (मार्च, 22)
10	टिडोंग-I	हिमाचल प्रदेश	निजी	स्टेटक्राफ्ट आईपीएल	100.00	2022-23 (अक्टूबर, 22)
11	कुटेहर	हिमाचल प्रदेश	निजी	जेएसडब्ल्यू एनर्जी लिमिटेड	240.00	2025-26 (नवंबर, 25)
12	टंगनु रोमाई	हिमाचल प्रदेश	निजी	टीआरपीजी	44.00	2024-25 *
13	पकल दुल	जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र	केंद्रीय	सीवीपीपीएल	1000.00	2025-26 (जुलाई, 25)
14	परनाई	जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र	राज्य	जेकेएसपीडीसी	37.50	2023-24 (दिसंबर, 23)
15	किरू	जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र	केंद्रीय	सीवीपीपीएल	624.00	2024-25 (अगस्त, 24)
16	लोअर कलनाई	जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र	राज्य	जेकेएसपीडीसी	48.00	2025-26 *
17	रतले	जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र	केंद्रीय	आरएचईपीपीएल / एनएचपीसी	850.00	2025-26

		क्षेत्र				(फरवरी, 26)
18	पल्लीवसल	केरल	राज्य	केएसईबी	60.00	2022-23 (सितंबर, 22)
19	थोटियार	केरल	राज्य	केएसईबी	40.00	2022-23 (दिसंबर, 22)
20	महेश्वर	मध्य प्रदेश	निजी	एसएमएचपीसीएल	400.00	2023-24 *
21	कोयना लेफ्ट बैंक	महाराष्ट्र	राज्य	डब्ल्यूआरडी, महाराष्ट्र	80.00	2025-26 *
22	शाहपुरकांडी	पंजाब	राज्य	पीएसपीसीएल/सिंचाई विभाग, पंजाब	206.00	2024-25 (अगस्त, 24)
23	तीस्ता स्टे.-VI	सिक्किम	केंद्रीय	एनएचपीसी	500.00	2023-24 (मार्च, 24)
24	रंगित-IV	सिक्किम	केंद्रीय	एनएचपीसी	120.00	2024-25 (मई, 24)
25	भास्मे	सिक्किम	निजी	गति इंफ्रास्ट्रक्चर	51.00	2024-25*
26	रंगित-II	सिक्किम	निजी	सिक्किम हाइड्रो	66.00	2024-25 *
27	पनान	सिक्किम	निजी	हिमागिरी	300.00	2025-26 *
28	कुंडाह पम्पड स्टोरेज फेज-I, II और III)	तमिलनाडु	राज्य	टैजको	500.00	2023-24 (मार्च, 24)
29	विष्णुगढ़ पीपलकोटि	उत्तराखंड	केंद्रीय	टीएचडीसी	444.00	2024-25 (जून, 24)
30	नैतवर मोरी	उत्तराखंड	केंद्रीय	एसजेवीएनएल	60.00	2022-23 (दिसंबर, 22)
31	तपोवन विष्णुगढ़	उत्तराखंड	केंद्रीय	एनटीपीसी	520.00	2024-25 (जून, 24)
32	व्यास	उत्तराखंड	राज्य	यूजेवीएनएल	120.00	2021-22 (मार्च, 22)
33	टिहरी पीएसएस	उत्तराखंड	केंद्रीय	टीएचडीसी	1000.00	2022-24*** (जून, 23)
34	लता तपोवन	उत्तराखंड	केंद्रीय	एनटीपीसी	171.00	2025-26*
35	फाटा ब्युंग	उत्तराखंड	निजी	लैंको	76.00	2024-25 *
36	रम्माम-III	पश्चिम बंगाल	केंद्रीय	एनटीपीसी	120.00	2024-25 (दिसंबर 24)
	कुल:				12663.50	
*परियोजना फिलहाल रुकी हुई है। कमीशनिंग कार्यों के तत्काल पुनरारंभ के अधीन है						
** वर्ष 2022-23 के दौरान 2 यूनिट (500 मेगावाट) और वर्ष 2023-24 के दौरान 6 यूनिट (1500 मेगावाट) की संभावना						
*** वर्ष 2022-23 के दौरान 2 यूनिट (500 मेगावाट) और वर्ष 2023-24 के दौरान 2 यूनिट (500 मेगावाट) की संभावना						
# परियोजना का एक हिस्सा असम के धेमाजी जिले में है।						

अनुबंध-V

राज्य सभा में दिनांक 05.04.2022 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 3836 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

दिनांक 30.03.2022 तक की स्थिति के अनुसार

तमिलनाडु राज्य में पिछले तीन वर्षों के दौरान चालू किए गए ताप विद्युत संयंत्रों का ब्यौरा

क्रम सं.	परियोजना का नाम	जिला	विकासकर्ता	एलओए की तारीख	ईंधन	यूनिट सं.	संस्थापित क्षमता (मेगावाट)	क्षमता अभिवृद्धि की तारीख
वित्तीय वर्ष 2018-19								
शून्य								
वित्तीय वर्ष 2019-20								
1	नैवेली न्यू टीपीपी	नैवेली	एनएलसी	जून-11	लिग्नाइट	1	500	20.12.2019
वित्तीय वर्ष 2020-21								
2	नैवेली न्यू टीपीपी	नैवेली	एनएलसी	जून-11	लिग्नाइट	2	500	03.02.2021
वित्तीय वर्ष 2021-22								
3	तूतीकोरिन टीपीपी, स्टे.-IV	थुथुकुडी	एसईपीसी	जनवरी-14	कोयला	1	525	30.11.2021
कुल							1525	

अनुबंध-VI

राज्य सभा में दिनांक 05.04.2022 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 3836 के भाग (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

तमिलनाडु राज्य में निर्माणाधीन विद्युत परियोजनाएं

क्रम सं.	परियोजना	क्षमता	प्रकार	वास्तविक प्रगति	चालू होने का अनुमानित समय
1	एनसीटीपीएस स्टेज-III	800 मेगावाट	थर्मल	89.10%	सितंबर 2022
2	एन्नोर एसईजेड	1320 मेगावाट	थर्मल	51.80%	2023-2024
3	उडनगुडी स्टेज-I	1320 मेगावाट	थर्मल	57.50%	2023-2024
4	कुंडाह	500 मेगावाट	पम्पड स्टोरेज	27%	2024
5	कोल्लीमलाई	20 मेगावाट	हाइड्रो	44.50%	2023

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-3837

जिसका उत्तर 05 अप्रैल, 2022 को दिया जाना है।

विद्युत की मांग में वृद्धि

3837. डा. किरोड़ी लाल मीणा:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) वर्ष 2018 से 2040 के बीच विद्युत की मांग में तीन गुना वृद्धि होने के अनुमान को देखते हुए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने प्रस्तावित हैं; और
- (ख) क्या सरकारी विद्युत संयंत्रों में अक्षम पारेषण प्रणाली में कम निवेश, बिजली की कम कीमत, वितरण कंपनियों को अत्यधिक घाटा, सस्ती दर वाली बिजली के अलावा जल स्तर में गिरावट देश में विद्युत उत्पादन क्षेत्र की प्रमुख चुनौतियां हैं, यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने प्रस्तावित हैं?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री

(श्री आर.के. सिंह)

(क) और (ख) : विद्युत की मांग को पूरा करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा उठाए गए कदम **अनुबंध** में दिए गए हैं। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के अध्ययन के अनुसार, वर्ष 2030 तक संस्थापित उत्पादन क्षमता लगभग 817 गीगावाट होने की संभावना है जो वर्ष 2030 तक विद्युत की मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त होगी।

सुदृढ़ राष्ट्रीय ग्रिड बिना किसी पारेषण बाधाओं के आधिक्य वाले क्षेत्रों से कमी वाले क्षेत्रों में विद्युत के अंतरण को सुगम बनाती है। दिनांक 31.03.2014 तक की स्थिति के अनुसार अंतर्क्षेत्रीय पारेषण क्षमता 35,950 मेगावाट से बढ़कर दिनांक 28 फरवरी, 2022 तक की स्थिति के अनुसार 1,12,250 मेगावाट हो गई है। इलेक्ट्रिक ग्रिड की क्षमता का विद्युत उत्पादन एवं विद्युत मांग में वृद्धि के साथ मिलान करने के लिए नियमित आधार पर विस्तार किया जा रहा है।

पारेषण प्रणालियां अधिकांशतः टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोली माध्यम से बनाई जाती हैं। तथापि, केंद्रीय सरकार जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र, लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र और उत्तर-पूर्वी राज्यों में लगभग 16,000 करोड़ रुपये की पारेषण स्कीमों का निधीयन भी कर रही है। अंतर-राज्यीय लाइनें राज्य पारेषण कंपनियों द्वारा निर्मित की गई हैं।

विद्युत उपभोक्ताओं की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के उद्देश्य से, वितरण नेटवर्क का भी नियमित आधार पर उन्नयन एवं संवर्धन आवश्यक होता है, जिसे राज्य आयोगों की निगरानी में वितरण कंपनियों द्वारा किया जाता है। केंद्रीय सरकार सभी उपभोक्ताओं को निर्बाध विद्युत आपूर्ति प्रदान करने के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए राज्यों को सक्षम बनाने हेतु दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई), एकीकृत विद्युत विकास स्कीम (आईपीडीएस) और संशोधित वितरण क्षेत्र स्कीम (आरडीएसएस) सहित अपनी विभिन्न स्कीमों के माध्यम से वितरण अवसंरचना तैयार करने/संवर्धन करने के लिए उनकी सहायता भी कर रही है। नई स्कीम आरडीएसएस का परिव्यय 3,03,785 करोड़ रुपये है और केंद्रीय सरकार से प्राक्कलित सकल बजटीय सहायता 97,631 करोड़ रुपये है। आरडीएसएस का उद्देश्य वितरण यूलिलिटीयों की हानियों को कम करना है।

राज्य सभा में दिनांक 05.04.2022 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 3837 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

विद्युत उत्पादन बढ़ाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

- (i) देश में कुल 28,460 मेगावाट की ताप विद्युत परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं।
- (ii) इस समय, देश में कुल 12,663.5 मेगावाट की 36 बड़ी हाइड्रो परियोजनाएं (25 मेगावाट से अधिक) हैं जो कार्यान्वयनाधीन हैं।
- (iii) 8700 मेगावाट की परमाणु क्षमता निर्माणाधीन हैं और 7,000 मेगावाट क्षमता की परमाणु विद्युत परियोजनाओं का प्रशासनिक अनुमोदन और वित्तीय स्वीकृति प्रदान कर दी गई है।
- (iv) ग्लासगो सीओपी26 शिखर सम्मेलन में माननीय प्रधान मंत्री ने वर्ष 2030 तक गैर-जीवाश्म ईंधन आधारित क्षमता (हाइड्रो, परमाणु, सौर पीवी, पवन, बायोमास आदि) से 500 गीगावाट संस्थापित क्षमता प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-3838

जिसका उत्तर 05 अप्रैल, 2022 को दिया जाना है ।

बिजली वितरण कंपनियों का बकाया कर्ज

3838. श्री बिनोय विस्वम:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या यह सच है कि केंद्रीय और राज्य विद्युत उत्पादन केंद्रों, स्वतंत्र विद्युत उत्पादकों और नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादकों को बिजली वितरण कंपनियों का अत्यधिक बकाया है;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और शीर्ष दस विद्युत वितरण कंपनियों के बकाया ऋण और अब तक वसूल की गई कुल धनराशि का ब्यौरा क्या है;
- (ग) अत्यधिक बकाया के मुख्य कारण क्या हैं और इसकी वसूली के लिए उठाए जा रहे कदम क्या हैं; और
- (घ) इस बढ़ते ऋण के बिजली क्षेत्र और आम उपभोक्ता, दोनों पर पड़ने वाले अल्पकालिक और दीर्घकालिक प्रभाव क्या होंगे?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री
(श्री आर.के. सिंह)

(क) और (ख) : विद्युत क्षेत्र की उत्पादक कंपनियों द्वारा, प्राप्ति पोर्टल पर उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार, दिनांक 31.12.2021, दिनांक 31.01.2022 और दिनांक 28.02.2022 तक की स्थिति के अनुसार, केंद्रीय विद्युत उत्पादन स्टेशनों, स्वतंत्र विद्युत उत्पादकों (आईपीपी) और नवीकरणीय ऊर्जा (आरई) उत्पादकों के प्रति डिस्कॉमों के कुल बकायों का विवरण क्रमशः 95,717 करोड़ रुपये, 98,545 करोड़ रुपये और 1,00,987 करोड़ रुपये है। राज्य-वार ब्यौरे अनुबंध-I में दिए गए हैं। दिनांक 31 मार्च, 2019 की तुलना में दिनांक 31 मार्च, 2020 तक की स्थिति के अनुसार, शीर्ष 10 डिस्कॉमों का बकाया ऋण, ऋण स्तरों में निवल कमी और वृद्धि के साथ अनुबंध-II में दिया गया है।

(ग) : जेनकोज को भुगतान योग्य बकाया राशियों में वृद्धि होने और डिस्कॉमों के खराब वित्तीय निष्पादन के मुख्य कारण: लागतों को प्रतिबिंबित नहीं करने वाले टैरिफ; खराब बिलिंग और संग्रहण दक्षता; राज्य सरकार के विभागों द्वारा विद्युत के बकायों का भुगतान नहीं करना; राज्य सरकारों द्वारा घोषित सब्सिडी के लिए उनके द्वारा भुगतान नहीं करना/कम भुगतान करना है। ये सभी पहलू डिस्कॉमों के अभिशासन में कमियों से संबंधित हैं।

भारत सरकार ने लिक्विडिटी निषेचन स्कीम (एलआईएस); विद्युत क्षेत्र के सुधारों से संबद्ध राज्यों के लिए जीएसडीपी के 0.5% की अतिरिक्त उधारी; पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन (पीएफसी) लिमिटेड और आरईसी लिमिटेड द्वारा ऋण देने के लिए अतिरिक्त विवेकसम्मत मानदंडों को समाविष्ट करने; और संशोधित वितरण क्षेत्र स्कीम (आरडीएसएस) सहित सुधार उपायों से संबद्ध डिस्कॉमों की वित्तीय और प्रचालनात्मक दक्षताओं में सुधार करने के लिए अनेक हस्तक्षेप किए हैं।

इसके अतिरिक्त, सरकार ने वितरण लाइसेंसधारियों द्वारा विद्युत क्रय करार (पीपीए) के अंतर्गत भुगतान सुरक्षा तंत्र के रूप में पर्याप्त साख पत्र (एलसी) खोलना और बनाए रखना लागू करते हुए दिनांक 28 जून, 2019 को एक आदेश भी जारी किया है। यह आदेश एनएलडीसी एवं आरएलडीसी को, एलसी खोले जाने की पुष्टि के बाद ही विद्युत डिस्पैच करने हेतु अधिदेशित करता है। इन सुधार उपायों से डिस्कॉमों की वित्तीय स्थिति में सुधार होगा जिससे लिक्विडिटी की स्थिति सुधरेगी, फलस्वरूप विद्युत उत्पादक कंपनियों (जेनकोज) की देय बकाया राशियों में कमी आएगी।

इसके अलावा, उत्पादक कंपनियों तथा अंतर-राज्यीय पारेषण लाइसेंसधारियों द्वारा बकाया राशि के भुगतान हेतु वितरण कंपनियों से लगातार अनुरोध किया जा रहा है। चूक की स्थिति में, विद्युत आपूर्ति के नियमन हेतु नोटिसें दी जाती हैं और बकायों की वसूली के लिए भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) और राज्य सरकार के बीच हुए त्रि-पक्षीय करार की भी सहायता ली जाती है।

(घ) : डिस्कॉमों की प्रतिकूल वित्तीय स्थिति से उत्पन्न खराब लिक्विडिटी न केवल विद्युत आपूर्ति के मामले में उपभोक्ताओं के लिए समस्याओं का कारण बनती है; बल्कि यह विद्युत क्षेत्र की मूल्य श्रृंखला में भी समस्याओं के बढ़ने का कारण बनती है। नकदी की तंगी से जूझ रही डिस्कॉमों को, उत्पादक कंपनियों सहित, अपने लेनदारों को भुगतान करने में मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, जिससे वे कोयला आपूर्तियों और रेलवे के मालभाड़े के साथ-साथ अपने कर्मचारियों के वेतन तथा संयंत्रों के निर्माण के लिए, लिए गए ऋणों का पुनर्भुगतान करने में सक्षम नहीं हो पाते हैं।

राज्य सभा में दिनांक 05.04.2022 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 3838 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

राज्य जेनकोज़ को छोड़कर जेनकोज़ (सीपीएसई, आईपीपी, आरई) के प्रति राज्य डिस्कॉम की अतिदेय राशि
(प्राप्ति पोर्टल के अनुसार 16.03.22 तक)

(अतिदेय आंकड़ों में विवादित राशि शामिल नहीं है)													
(सभी राशि करोड़ रु. में)													
क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	दिनांक 31.12.2021 तक की स्थिति के अनुसार				दिनांक 31.01.2022 तक की स्थिति के अनुसार				दिनांक 28.02.2022 तक की स्थिति के अनुसार			
		सीपीएसई	आईपीपी	आरई	कुल	सीपीएसई	आईपीपी	आरई	कुल	सीपीएसई	आईपीपी	आरई	कुल
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	10	-	-	10	7	-	-	7	8	-	-	8
2	आंध्र प्रदेश	322	408	6,581	7,312	502	401	6,630	7,534	386	461	6,691	7,538
3	अरुणाचल प्रदेश	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	असम	1	-	2	2	1	-	2	2	1	-	4	5
5	बिहार	0	530	109	638	0	593	98	691	0	589	94	683
6	चंडीगढ़	75	-	-	75	75	-	-	75	78	-	-	78
7	छत्तीसगढ़	11	64	24	99	11	79	27	117	11	85	24	120
8	झारखण्ड	4	402	-	406	4	402	-	406	4	402	-	406
9	दिल्ली	616	5	-	620	606	5	-	611	553	5	-	557
10	गोवा	9	-	-	9	9	-	-	9	9	-	-	9
11	गुजरात	19	11	238	268	19	11	237	268	19	81	238	338
12	हरियाणा	53	1,327	-	1,381	29	1,269	-	1,298	66	688	-	754
13	हिमाचल प्रदेश	4	1	-	5	4	1	-	5	13	1	-	15
14	जम्मू और कश्मीर	6,081	6	-	6,088	6,538	7	-	6,544	6,857	7	-	6,864
15	झारखंड	3,064	-	-	3,064	3,134	-	-	3,134	3,567	-	-	3,567
16	कर्नाटक	1,689	1,070	2,372	5,131	1,659	1,051	2,351	5,061	1,670	1,077	2,399	5,146
17	केरल	64	397	-	461	63	409	-	472	65	417	-	482
18	लक्षद्वीप	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	मध्य प्रदेश	897	2,640	1,769	5,306	396	2,856	1,784	5,036	396	2,991	1,782	5,169
20	महाराष्ट्र	411	16,505	1,623	18,539	413	17,262	1,686	19,361	413	17,135	1,735	19,282
21	मणिपुर	51	-	-	51	43	-	-	43	45	-	-	45
22	मेघालय	514	-	-	514	532	-	-	532	548	-	-	548
23	मिजोरम	25	-	-	25	3	-	-	3	12	-	-	12
24	नागालैंड	-	-	-	-	0	-	-	0	0	-	-	0
25	ओडिशा	0	245	3	247	0	248	3	250	0	248	3	250
26	पुदुचेरी	19	-	-	19	22	-	-	22	24	-	-	24
27	पंजाब	47	1,075	130	1,252	76	1,075	157	1,307	83	1,075	168	1,326
28	राजस्थान	436	9,195	1,287	10,917	371	8,889	1,479	10,739	509	8,846	1,497	10,852
29	सिक्किम	39	-	-	39	47	-	-	47	48	-	-	48
30	तमिलनाडु	6,083	8,189	3,255	17,527	6,874	8,710	3,242	18,826	6,967	9,385	3,307	19,658
31	तेलंगाना	836	2,951	2,445	6,233	892	3,171	2,515	6,578	914	3,418	2,560	6,891
32	त्रिपुरा	162	-	-	162	156	-	-	156	146	-	-	146
33	उत्तर प्रदेश	629	8,091	15	8,735	750	8,104	15	8,868	1,147	8,462	15	9,624
34	उत्तराखंड	2	-	-	2	6	-	-	6	6	-	-	6
35	पश्चिम बंगाल	66	512	1	579	3	533	1	537	2	533	1	536
	कुल	22,239	53,624	19,853	95,717	23,244	55,075	20,226	98,545	24,567	55,903	20,517	1,00,987

अनुबंध-II

राज्य सभा में दिनांक 05.04.2022 को उत्तरार्थ अतारंकित प्रश्न संख्या 3838 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

कुल उधार - शीर्ष 10 डिस्कॉम्स

क्रम सं.	यूटिलिटी का नाम	31 मार्च, 2020 तक की स्थिति के अनुसार कुल उधार	31 मार्च, 2029 तक की स्थिति के अनुसार कुल उधार	वर्ष 2018-19 से 2019-20 तक कुल उधार में वृद्धि
1	टैजडको	1,24,413	1,13,438	10,975
2	एमएसईडीसीएल	39,086	35,197	3,889
3	एपीएसपीडीसीएल	20,436	13,601	6,836
4	केएसईबीएल	20,310	19,471	839
5	एमपीएमएकेवीवीसीएल	18,178	16,913	1,265
6	एमपीपीओकेवीवीसीएल	17,535	16,030	1,505
7	जेवीवीएनएल	17,185	19,391	-2,206
8	डीवीवीएनएल	17,001	17,999	-998
9	पीएसपीसीएल	16,258	30,473	-14,215
10	जेडीवीवीएनएल	16,184	16,513	-329

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-3839

जिसका उत्तर 05 अप्रैल, 2022 को दिया जाना है।

ताप विद्युत संयंत्रों में कोयले का भंडार

3839. श्री प्रभाकर रेड्डी वेमिरेड्डी:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या यह सच है कि सरकार के दिशा-निर्देशों में ताप विद्युत संयंत्रों को किसी भी संकट से बचने के लिए 14 दिनों के लिए कोयले का भंडार रखने का अधिदेश दिया गया है;
- (ख) यदि हां, तो कई ताप विद्युत संयंत्रों द्वारा इसका पालन नहीं करने और केवल 2 से 3 दिनों का ही भंडार रखने के क्या कारण हैं;
- (ग) कोयले की कमी के क्या कारण हैं और ताप विद्युत संयंत्र और राज्य कोयले के लिए अफरा-तफरी मचा रहे हैं; और
- (घ) कोयला उत्पादन, आपूर्ति और आयात की वर्तमान स्थिति क्या है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री

(श्री आर.के. सिंह)

(क) और (ग) : ताप विद्युत संयंत्रों द्वारा पर्याप्त कोयला भंडार बनाए रखने के लिए, सरकार ने दिनांक 06.12.2021 को संशोधित कोयला भंडारण मानदंड जारी किए हैं, जो विद्युत संयंत्रों को पिटहेड संयंत्रों के मामले में 12 से 17 दिनों के लिए 85% पीएलएफ की दैनिक आवश्यकता और वर्ष के दौरान प्रेषण/खपत पद्धति के आधार पर मौसम के अनुसार परिवर्तनशील गैर-पिटहेड संयंत्रों के मामले में 20 से 26 दिन कोयला भंडार बनाए रखना अनिवार्य करता है।

28 मार्च, 2022 को कोयला भंडार 25.5 एमटी था जो 85% पीएलएफ की आवश्यकता पर औसतन लगभग 9 दिनों के लिए पर्याप्त है।

(घ) : अप्रैल, 2021 से फरवरी, 2022 के दौरान, सीआईएल, एससीसीएल और विद्युत क्षेत्र को आबंटित कैप्टिव खदानों से कोयले का उत्पादन और विद्युत क्षेत्र को कोयले का प्रेषण निम्नानुसार है:

(एमटी में)

अप्रैल, 2021 से फरवरी, 2022	सीआईएल	एससीसीएल	विद्युत क्षेत्र को आबंटित कैप्टिव खदानें	कुल
कोयला उत्पादन	542.4	58.6	73.4	674.4
विद्युत क्षेत्र को कोयले का प्रेषण	487.9	48.9	64.1	600.9

इसके अलावा, विद्युत क्षेत्र द्वारा अप्रैल, 2021 से फरवरी, 2022 के दौरान आयातित कोयला लगभग 24.2 मीट्रिक टन था।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-3840

जिसका उत्तर 05 अप्रैल, 2022 को दिया जाना है ।

नीति वकालत शाखा

3840. श्रीमती गीता उर्फ चन्द्रप्रभा:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) नीति वकालत शाखा का उद्देश्य क्या है; और

(ख) आम जनता को इससे क्या लाभ प्राप्त होंगे, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री
(श्री आर.के. सिंह)

(क) : केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों द्वारा सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 के अंतर्गत एक सोसायटी, पावर फाउन्डेशन की स्थापना भारत के ऊर्जा परागमन हेतु सुगम मार्ग तैयार करने में सहायता करने के लिए प्रामाणिक विश्लेषण, आंकड़े, नीतिगत सिफारिशें और वास्तविक समाधान प्रदान करते हुए विद्युत तथा संबद्ध क्षेत्रों संबंधी अनुसंधान करने/प्रायोजित करने, उनमें चुनौतियों को अभिचिन्हित और उनका समाधान करने, अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में नवीकरणीय ऊर्जा का संवर्धन करने एवं परिणामस्वरूप अर्थव्यवस्था का विद्युतीकरण करने, ई-मोबिलिटी, नवीकरणीयों का उपयोग करके इलेक्ट्रिक कुकिंग में परिवर्तित होने और विशिष्ट प्रशिक्षण तथा परामर्शी सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से भी की गई।

(ख) : पावर फाउन्डेशन नए ऊर्जा प्रतिमानों में विद्युत और संबद्ध क्षेत्रों की स्थिरता और व्यवहार्यता की दिशा में कार्य करेगा जो कम उत्सर्जन के साथ विश्वसनीय एवं सस्ती विद्युत सुनिश्चित करते हुए आम लोगों को लाभान्वित करेगा।
